डाक पंजीयन क्र./छ.ग./रायपुर संभाग/14/2024-2026

आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या CHHHIN/2002/09534

रोजगार और नियोजन

वर्ष-23, 15/16, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित

29 अक्टू./05 नवं. 2025 बुधवार, पृष्ठ संख्या 24, निःशुल्क

₹14,260 करोड़ से अधिक की परियोजना लोकार्पित

छत्तीसगढ़ राज्य के गौरवशाली रजत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवा रायपुर से लेकर बस्तर तक विकास की नई इबारत लिखते हुए 14,260 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

राज्य के गौरवशाली रजत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का दौरा राज्य के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में प्रधानमंत्री ने नवा रायपुर से लेकर बस्तर तक विकास की नई इबारत लिखते हुए 14,260 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यह दिन न केवल राज्य के 25 वर्षों की उपलब्धियों का उत्सव बना, बल्कि "नए, समृद्ध और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़" की दिशा में ठोस कदम के रूप में दर्ज हुआ।प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नवा रायपुर पहुंचे, तो पूरा प्रदेश आत्मगौरव और उत्साह से झूम उठा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की नेतृत्व क्षमता और दूरदृष्टि के साथ यह ऐतिहासिक दिन प्रदेश की प्रगति का स्वर्ण अध्याय लिख गया। नवा रायपुर से बस्तर तक विकास की रफ्तार को नई दिशा मिली। यह केवल परियोजनाओं का लोकार्पण नहीं, बल्कि "अटल जी के सपनों के छत्तीसगढ़" को साकार करने की निर्णायक शुरुआत हुई।

2500 बच्चों को प्रमाण पत्र

'दिल की बात' कार्यक्रम. बच्चों की मुस्कान से भावुक हुए प्रधानमंत्री

▪ प्रधानमंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल, नवा रायपुर से की, जहां उन्होंने 'दिल की बात' कार्यक्रम के तहत जन्मजात हृदय रोगों से स्वस्थ हुए 2,500 बच्चों से आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा- "इन बच्चों के चेहरे पर लौटती मुस्कान भारत के स्वस्थ भविष्य की प्रतीक है। यह सेवा भाव हमारे 'नए भारत' की आत्मा है।"

324 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित

अटल जी की स्मृति में नया विधानसभा भवन राष्ट्र को समर्पित

▪ नवा रायपुर अटल नगर में प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण किया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया, उन्होंने कहा -"अटल जी का नाम छत्तीसगढ़ की आत्मा में अंकित है। यह भवन लोकतंत्र की नई ऊर्जा का प्रतीक बनेगा।" यह भवन 'ग्रीन बिल्डिंग' अवधारणा पर आधारित है।

650 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी

वीरता को समर्पित शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक का उद्घाटन

▪ प्रधानमंत्री ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए कहा "छत्तीसगढ़ की धरती शौर्य और बलिदान की गाथाओं से भरी है। जनजातीय समाज की वीरता भारत की रीढ़ है।" 'आदि शौर्य' ई-बुक और डिजिटल संग्रहालय पोर्टल का शुभारंभ करते हुए जनजातीय अस्मिता को नमन किया। शेष पेज 3 पर

अब नए युग में प्रवेश कर रहा है प्रदेश

"नवा रायपुर का नया विधानसभा भवन छत्तीसगढ़ की जनआकांक्षाओं, जनगौरव और लोकतंत्र का तीर्थ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना आज साकार हुआ है, छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यह भवन आने वाले दशकों तक जनकल्याण और सुशासन का केंद्र बनेगा।"

श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण अध्याय

"आज छत्तीसगढ़ का हर नागरिक गर्व से कह सकता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सुशासन, स्वाभिमान और समृद्धि की दिशा में अग्रसर है। 25 वर्षों की विकास यात्रा आज 'अमृत युग' में प्रवेश कर रही है। यह केवल परियोजनाओं का लोकार्पण नहीं, बल्कि उज्ज्वल भविष्य की नींव है।"

श्री विष्णु देव साय , मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़

भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्वविजेता बनने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दी बधाई

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्वविजेता बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय महिला खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन, अनुशासन, समर्पण और अदम्य जज़्बे से देश का नाम रोशन किया है। यह उपलब्धि पूरे भारत के लिए गौरव का क्षण है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत हर उस बेटी के लिए प्रेरणा है, जो अपने सपनों को साकार करने का साहस रखती है।

श्रद्धा और समृद्धि का संगम

मुख्यमंत्री की पहल पर मिला बड़ा तोहफ़ा, केन्द्र सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में किया शामिल

महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर 38 करोड़ से सजेगा भोरमदेव धाम

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित ऐतिहासिक भोरमदेव मंदिर अब महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित होने जा रहा है। 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच निर्मित यह मंदिर अपनी प्राचीन वास्तुकला, सांस्कृतिक वैभव और धार्मिक आस्था का अद्भुत संगम है। राज्य शासन द्वारा इस स्थल के विकास के लिए भेजे गए प्रस्ताव को केन्द्र सरकार ने मंजूरी प्रदान करते हुए इसे स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में शामिल किया है। इस परियोजना पर कुल 38 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण

1 करोड़ 17 लाख रुपए के लागत से चार मुख्य प्रवेश द्वारों का निर्माण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा।

कबीरधाम प्रवेश द्वार
₹13.90 लाख

गोलवक्कर प्रवेश द्वार
₹80 लाख

नागा प्रवेश द्वार
₹14 लाख

पार्क प्रवेश द्वार
₹10 लाख

नया गेस्ट हाउस

मुख्य मंदिर प्लेटफॉर्म के सौंदर्यीकरण पर1 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही एक नया गेस्ट हाउस भी बनाया जाएगा, जिसकी लागत 61 लाख रुपए होगी।

पर्यटकों के लिए नई सुविधाएं

भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना में 24 लाख रुपए की लागत से एक आकर्षक चिल्ड्रन पार्क बनाया जाएगा। इसके अलावा 67 लाख रुपए की लागत से स्टाफ क्वार्टर का निर्माण किया जाएगा।

पिक ऑफ द वीक

छत्तीसगढ़ 'रजत जयंती महोत्सव'

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नवा रायपुर आगमन पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं राज्य की जनता ने उनका आत्मीय स्वागत पुष्पवर्षा, पारंपरिक नृत्य और देशभक्ति के नारों के साथ राज्योत्सव स्थल पर उमड़ी जनसमूह की गर्मजोशी और उत्साह ने 'रजत जयंती महोत्सव' को ऐतिहासिक बना दिया। यह क्षण छत्तीसगढ़ की प्रगति, एकता और विकास की नई यात्रा का प्रतीक बना।

छत्तीसगढ़ में अधीक्षक पदों पर भर्ती, आवेदन 8 नवंबर तक

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था) के 55 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन 8 नवंबर 2025 तक आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर किए जा सकेंगे। परीक्षा 18 जनवरी 2026 को प्रस्तावित है। पात्रता के लिए समाज कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर या विधि में स्नातक आवश्यक है। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष (छ.ग. निवासियों को 5 वर्ष की छूट) निर्धारित की गई है।

रेलवे भर्ती बोर्ड ने 5810 पदों पर निकाली भर्ती, आवेदन 20 तक

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने एनटीपीसी के तहत 5810 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार www.rrbapply.gov.in पर 20 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट सहित कई पदों के लिए है। आवेदक किसी भी विषय में स्नातक हों और आयु 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में CBT-1, CBT-2, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को 25,500 से 35,400 रुपए मासिक वेतन मिलेगा।

ISRO में 141 पदों पर भर्ती आवेदन 14 नवंबर तक

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार, श्रीहरिकोटा में साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट और अन्य 141 पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। उम्मीदवार 14 नवंबर 2025 तक apps.shar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष रखी गई है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल हैं। वेतन 19,900 रुपए से 1,77,500 रुपए प्रतिमाह तक रहेगा। आवेदन शुल्क 750 रुपए है, जिसमें महिलाओं व आरक्षित वर्ग को रिफंड की सुविधा मिलेगी।

मोदी की गारंटियों को साकार करती साय सरकार

23 माह के अल्प समय में ही असाधारण उपलब्धियां दर्ज की है

किसान
आत्मनिर्भर खेती की दिशा में

- 26 दिसम्बर 2023 को 13 लाख किसानों के खातों में 3716 करोड़ रुपए का धान बोनस।
- विपणन वर्ष 2024-25 में 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से रिकॉर्ड 149.25 लाख मी.टन धान खरीद।
- किसानों को 34,500 करोड़ रुपए का समर्थन मूल्य भुगतान और अतिरिक्त 12,000 करोड़ रुपए कृषक उन्नति योजना से।
- बीते 18 महीनों में 1.25 लाख करोड़ रुपए राशि किसानों के खातों में।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 26 लाख किसान लाभान्वित।

महिला
महतारी वंदन योजना बनी मिसाल

- 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री की उपस्थिति में योजना का शुभारंभ।
- 64.94 लाख हितग्राहियों को 606.94 करोड़ रुपए की 20वीं किस्त, कुल वितरण 12,983 करोड़ रुपए से अधिक।
- 179 महतारी सदन निर्माण के लिए 52.20 करोड़ रुपए स्वीकृत।
- मितानिनों के लिए ऑनलाइन प्रोत्साहन भुगतान व्यवस्था लागू।
- स्व-सहायता समूहों को रेडी टू ईट उत्पादन कार्य सौंपकर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा।

युवा
अवसरों का नया युग

- सरकारी भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट।
- 32 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी निर्माण स्वीकृत।
- राज्य के 160 आईटीआई को मॉडल आईटीआई के रूप में विकसित करने हेतु 484.22 करोड़ रुपए स्वीकृत।
- छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना का अनुमोदन, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विस्तार।
- राज्य खेल अलंकरण समारोह में ओलंपिक स्वर्ण विजेताओं को 3 करोड़, रजत को 2 करोड़ रुपए, कांस्य को 1 करोड़ रुपए की घोषणा।

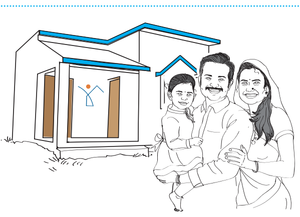

आवास
छत का सपना साकार

- सरकार बनने के दूसरे दिन ही 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को पीएम आवास स्वीकृत।
- अब तक 23 लाख से अधिक पीएम आवास मंजूर; आवास प्लस-प्लस के तहत 10 लाख और मिलेंगे।
- शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास 2.0 के तहत 1.32 लाख आवासों का लक्ष्य।
- 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा 5.11 लाख हितग्राहियों को 2044 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी, 1.66 लाख को गृह प्रवेश।
- 47,090 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभ।

आदिवासी
सम्मान प्रगति की दिशा में

- तेंदूपत्ता पारिश्रमिक दर 4000 से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति बोरा, 12.5 लाख संग्राहक लाभान्वित।
- चरण पादुका योजना पुनः प्रारंभ।
- नई दिल्ली ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीटें 50 से बढ़ाकर 185।
- बैगा, गुनिया, सिरहा को सालाना 5000 रुपए की मुख्यमंत्री सम्मान निधि।
- जनजातीय गांवों में अखरा निर्माण योजना लागू।
- पबिया, पविया जातियों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की पहल।

स्वास्थ्य
सुविधाओं का विस्तार

- राज्य के 87 प्रतिशत नागरिकों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
- राज्य में 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के 3.5 लाख से अधिक बुजुर्गों को वय वंदन आयुष्मान कार्ड जारी।
- शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना में गंभीर बीमारियों के लिए आर्थिक सहायता मुहैया।
- जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, मनेंद्रगढ़ और गीदम में नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से हुए भवन विस्तार

जॉब अलर्ट

IRCTC
पदः हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर
पद संख्याः 64
अंतिम तिथिः 08 नवंबर
irctc.com

एपी सड़क परिवहन
पदः ट्रेनी
पद संख्याः 277
अंतिम तिथिः 08 नवंबर
www.apsrtc.ap.gov.in

बीआरओ
पदः व्हीकल मैकेनिक
पद संख्याः 542
अंतिम तिथिः 10 नवंबर
www.bro.gov.in

अंतरिक्ष उपयोग केंद्र
पदः फिटर व अन्य
पद संख्याः 55
अंतिम तिथिः 13 नवंबर
www.sac.gov.in

एम्स
पदः सीनियर रेजीडेंट
पद संख्याः 153
अंतिम तिथिः 20 नवंबर
aiimshathinda.edu.in

नेवल शिप रिपेयर
पदः अप्रेंटिस
पद संख्याः 210
अंतिम तिथिः 23 नवंबर
apprenticeshipindia.gov.in

BSSC
पदः लोअर डिवीजन क्लर्क
पद संख्याः 14921
अंतिम तिथिः 24 नवंबर
www.onlinebssc.com

रोजगार और नियोजन

प्रधान संपादक
डॉ. रवि मित्तल
संपादक
जवाहर लाल दरियो
महाप्रबंधक
हीरालाल देवांगन
उप महाप्रबंधक (विपणन)
नितिन शर्मा
सहायक संपादक
गीतांजलि नेताम
संपादकीय
संदीप सिन्हा
ग्राफिक डिजाइन-इलेस्ट्रेशन
धनेश कुमार दिवाकर
डाटा एंट्री आपरेटर
अंजुरानी, राकेश साहू
वितरण व्यवस्था
विक्रांत ताम्रकार

- कार्यालय पता -
छत्तीसगढ़ संवाद
(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन-0771-2512582, 2512583
ईमेल पता
rojgaraurniyojan@gmail.com

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

छत्तीसगढ़

14,260 करोड़ से अधिक की परियोजना लोकार्पित

ग्रामीण आजीविका और आवास : प्रधानमंत्री ने 9 जिलों में 12 नए स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP) का शुभारंभ किया और 3.51 लाख घरों के गृह प्रवेश में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 लाख लाभार्थियों को 1,200 करोड़ रुपये की राशि वितरित की।

सड़क विकास: पत्थलगांव–कुनकुरी–झारखंड सीमा तक 3,150 करोड़ की लागत से बनने वाले ग्रीनफील्ड हाईवे की आधारशिला रखी गई। बस्तर और नारायणपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-130डी व 130सी के उन्नयन से जनजातीय अंचलों को नई रफ्तार मिलेगी।

ऊर्जा क्षेत्र: प्रधानमंत्री ने ईआर-डब्ल्यूआर इंटरकनेक्शन परियोजना से 1,600 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्षमता समर्पित की और आरडीएसएस योजना के तहत 1,860 करोड़ रुपये के कार्यों का उद्घाटन किया। इससे 15 लाख से अधिक लोगों को बेहतर बिजली आपूर्ति मिलेगी।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस: रायपुर में 460 करोड़ की लागत से बने एचपीसीएल पेट्रोलियम डिपो का उद्घाटन किया गया। इसके साथ 1,950 करोड़ रुपये की नागपुर–झारसुगुड़ा गैस पाइपलाइन का लोकार्पण हुआ, जिससे छत्तीसगढ़ के 11 जिले राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गए।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा: प्रधानमंत्री ने मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और गीदम में पांच नए मेडिकल कॉलेजों तथा बिलासपुर में सरकारी आयुर्वेद कॉलेज की आधारशिला रखी।

प्रधानमंत्री से रामनामी समाज के प्रतिनिधियों की आत्मीय भेंट

रजत महोत्सव के दौरान रामनाम में लीन जीवन जीने वाले रामनामी समाज के प्रतिनिधियों ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आत्मीय भेंट की।

'शांति शिखर' से मिली अध्यात्म और ध्यान की नई दिशा

प्रधानमंत्री ने ब्रह्माकुमारी संस्थान के 'शांति शिखर' का उद्घाटन में कहा कि यह स्थल आत्मबल, नैतिकता और शांतिपूर्ण जीवन की प्रेरणा देगा।

'शांति शिखर' यह सुविधाएं

- 2000 लोगों की क्षमता का एलईडी स्क्रीन वाला एसी ऑडिटोरियम।
- 400 लोगों की क्षमता के दो सेमिनार हॉल।
- 100 लोग मेडिटेशन हॉल में एक साथ राजयोग ध्यान कर सकेंगे।
- 25 लोग लाइब्रेरी में एक साथ बैठ सकेंगे।
- 100 से अधिक लोग एक साथ डायनिंग हॉल में भोजन कर सकेंगे।
- 100 अतिथियों को ठहरने के लिए सर्व सुविधायुक्त कमरे।
- 200 से अधिक लोग थिएटर में संस्था द्वारा तैयार की गई आध्यात्मिक फिल्में देख सकेंगे।

छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में SIR 4 नवंबर से बीएलओ घर-घर पहुंचेंगे

चुनाव आयोग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करेगा। यह अभियान 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा, जिसके दौरान बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) घर-घर पहुंचकर मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे। इसके बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट दिसंबर में जारी होगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। इस प्रक्रिया में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह जानकारी दी।

छत्तीसगढ़ का पहला वन विज्ञान केंद्र खुलेगा आसना में

बस्तर संभाग में वन आधारित अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सतत प्रयासों और वनांचल के विकास की प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप, आसना पार्क में प्रदेश का पहला वन विज्ञान केंद्र स्थापित होने जा रहा है। आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान और उनके जीवन को आधुनिक तकनीक से जोड़कर सशक्त करने पर जोर दिया है । सरगुजा वृत्त के मुख्य वनसंरक्षक भी समिति के सदस्य होंगे।

बस्तर ओलिंपिक 2025: 7 जिलों से 3 लाख 91,289 खिलाड़ियों का पंजीयन

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में आयोजित बस्तर ओलंपिक 2025 में अब तक 7 जिलों से 3 लाख 91 हजार 289 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है, जिनमें 2.27 लाख महिलाएँ शामिल हैं। गृह व खेल विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह आयोजन युवाओं की प्रतिभा निखारने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास है। प्रतियोगिता में आधुनिक और पारंपरिक खेलों के साथ विशेष श्रेणी के प्रतिभागी भी शामिल हैं। बस्तर की पहचान बन चुके इस आयोजन के शुभंकर वन भैंसा और पहाड़ी मैना हैं, जो क्षेत्र की जीवंतता और एकता के प्रतीक हैं।

गार्बेज कैफे' को राष्ट्रीय सराहना, छत्तीसगढ़ का बढ़ा गौरव

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' में अंबिकापुर नगर निगम की अनोखी पहल 'गार्बेज कैफे' की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन देने का यह प्रयास स्वच्छता और सामाजिक संवेदना का अद्भुत उदाहरण है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात बताया और कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा राज्य के नवाचारों और माओवाद उन्मूलन के संकल्प का उल्लेख प्रदेश की नई पहचान को दर्शाता है।

राष्ट्रीय

देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के शिल्पकार प्रो. चिटनिस का निधन

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखने वाले वैज्ञानिकों में शामिल प्रोफेसर एकनाथ वसंत चिटनिस का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे डॉ. विक्रम साराभाई के करीबी सहयोगी थे और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शुरुआती करियर में मार्गदर्शक भी रहे।

बीएसएफ में पहली बार: 5 महीने में ही मिला प्रमोशन

बीएसएफ के 60 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी महिला कांस्टेबल को मात्र पाँच महीने की सेवा में आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन मिला है। उत्तर प्रदेश की शिवानी को यह सम्मान अगस्त-सितंबर में ब्राज़ील में आयोजित वर्ल्ड वुशू चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने के लिए दिया गया। उन्हें कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नत किया गया है।

स्वदेशी युद्धपोत 'माहे' नौसेना में शामिल, बढ़ेगी ताकत

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पहला एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC) 'माहे' भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। यह आठ जहाजों की श्रृंखला में पहला पोत है। इससे नौसेना की तटीय पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। सीएसएल ने बताया कि यह युद्धपोत 78 मीटर लंबा है और डीजल इंजन-वॉटर जेट संयोजन द्वारा संचालित है। इसे मुख्यतः जल के भीतर निगरानी, खोज और बचाव कार्यों तथा कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों (LIMO) के लिए डिजाइन किया गया है।

जस्टिस प्रतिभा WIPO एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेज की चेयरपर्सन बनीं

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन यानी WIPO के न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 2025-2027 के कार्यकाल के लिए हुई है। जस्टिस प्रतिभा दिल्ली हाईकोर्ट की जज हैं। WIPO एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेज में अलग-अलग देशों के 10 जजों को शामिल किया गया है। इस एडवाइजरी बोर्ड का नेतृत्व जस्टिस प्रतिभा एम सिंह करेंगी।

मनीष गुप्ता आयरलैंड में भारत के अगले राजदूत नियुक्त

विदेश मंत्रालय ने बताया कि घाना गणराज्य में भारत के वर्तमान उच्चायुक्त मनीष गुप्ता को आयरलैंड गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। मनीष गुप्ता 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी हैं। उनके शीघ्र ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। डबलिन स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार, आयरलैंड में लगभग 80,000 भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिनमें 10,000 भारतीय छात्र शामिल हैं।

भारतीय स्टेट बैंक बना "विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025"

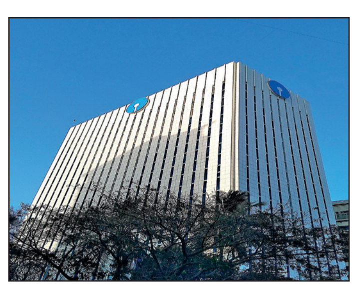

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को अंतरराष्ट्रीय पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने "विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025" और "भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक" घोषित किया। यह सम्मान वाशिंगटन डी.सी. में आईएमएफ–विश्व बैंक बैठकों के दौरान प्रदान किया गया। एसबीआई को यह उपलब्धि डिजिटल बैंकिंग में नवाचार, 52 करोड़ से अधिक ग्राहकों के व्यापक नेटवर्क और एआई-आधारित उपभोक्ता सेवाओं के कारण मिली। यह उपलब्धि भारत की बैंकिंग क्षमता, वित्तीय समावेशन और डिजिटल परिवर्तन की दिशा में वैश्विक नेतृत्व को दर्शाती है।

मध्यप्रदेश बना पहला राज्य, जहां दवाओं की सप्लाई में बारकोड

मध्यप्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसने सरकारी दवाओं की सप्लाई चेन पर 'ड्रग ट्रेसिंग सिस्टम' लागू किया है। एम.पी. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली लगभग 1200 प्रकार की दवाओं पर अब बारकोड लगाना अनिवार्य किया है। यह शर्त अब कॉरपोरेशन की नई टेंडर नीति में शामिल की गई है, जिसके तहत सभी अनुबंधित दवा कंपनियों को इसका पालन करना होगा। इस व्यवस्था से सरकार पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आएगा, क्योंकि कोडिंग का कार्य कंपनियां स्वयं करेंगी। इसे GS1 बारकोडिंग सिस्टम नाम दिया गया है।

कोलकाता से चीन के बीच सीधी उड़ान फिर शुरू

इंडिगो ने कहा कि उसने कोलकाता और ग्वांगझू के बीच उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही भारत और चीन के बीच पांच साल से अधिक समय बाद सीधी हवाई सेवाएं पुनः आरंभ हो गई हैं। एयरबस ए-320 विमान से संचालित पहली उड़ान 26 अक्टूबर की रात लगभग 10 बजे कोलकाता से रवाना हुई और वापसी की उड़ान सुबह लगभग 7:50 बजे उतरी। दोनों शहरों के बीच रोजाना इस उड़ान का संचालन किया जाएगा।

नई सुविधा : विदेश में बसे भारतीय हासिल कर सकेंगे चिप वाला ई-पासपोर्ट

भारत ने विश्व स्तर पर अपने नागरिकों को अत्याधुनिक चिप वाला ई-पासपोर्ट जारी करने की शुरुआत कर दी है। इस महीने से खाड़ी के अनेक देशों और यूरोप में भारतीय वाणिज्य दूतावासों में ग्लोबल पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम-2.0 लॉन्च किया गया है। दुनियाभर में फैले 195 मिशनों और सेवा केंद्रों में यह सुविधा चरणबद्ध ढंग से लागू की जा रही है।

रूसी तकनीक से भारत में बनेंगे सिविल एयरक्राफ्ट SJ-100

रूस के SJ-100 सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट अब भारत में भी बनेंगे। इसके लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ एक MoU साइन किया है। ये छोटे शहरों को हवाई कनेक्टिविटी देने वाली UDAN स्कीम के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है। ये MoU 28 अक्टूबर को मॉस्को में साइन हुआ है। HAL के प्रभात रंजन और PJSC-UAC के ओलेग बोगोमोलोव ने इसे साइन किया। HAL के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डीके सुनील और PJSC-UAC के डायरेक्टर जनरल वादिम बदेका की मौजूदगी में ये हुआ।

अंतरराष्ट्रीय

भारत के जंगल दुनिया में 9वें पायदान पर, बढ़ते वन क्षेत्र में हम दुनिया में तीसरे

दुनिया के वन वाले देशों में भारत नौवें स्थान पर है। बीते एक दशक में वन क्षेत्र में सालाना बढ़ोतरी करने वाले देशों में भारत तीसरे पायदान पर है। भारत में हर साल 1.91 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 रिपोर्ट में ये आँकड़े सामने आए हैं। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन पर यह रिपोर्ट हर पाँच साल में आती है। भारत का वन क्षेत्र 7.27 करोड़ हेक्टेयर है, जो वैश्विक वन क्षेत्र का करीब दो फ़ीसदी है और यह भारत के 24 फ़ीसदी हिस्से को कवर करता है।

न्यूयॉर्क का 44 प्लेटफ़ॉर्म वाला रेलवे स्टेशन, वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज

न्यूयॉर्क सिटी का ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन 44 प्लेटफ़ॉर्म के साथ गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। यह स्टेशन पार्क एवेन्यू और 42वीं स्ट्रीट पर स्थित है। इसका निर्माण 1903 में शुरू हुआ था और 1913 में पूरा हुआ। यह अमेरिका ही नहीं, दुनिया के सबसे आइकॉनिक ट्रांसपोर्ट हब्स में से एक है। यह स्टेशन दो अंडरग्राउंड लेवल पर बना है। इसमें ऊपर के लेवल पर 41 और नीचे के लेवल पर 26 ट्रैक हैं। यहाँ हर दिन करीब 660 मेट्रो-नॉर्थ ट्रेनें चलती हैं और लगभग 1.25 लाख यात्री सफ़र करते हैं।

INS सह्याद्रि ने जापान में बढ़ाया भारत-जापान नौसैनिक सहयोग

भारत-जापान रक्षा साझेदारी को नया आयाम देते हुए भारतीय नौसेना का INS सह्याद्रि जापान के योकोसुका पहुँचा और द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास JAIMEX 25 में भाग लिया। 16–17 अक्टूबर को हुए इस अभ्यास में जापान के JS Asahi, JS Oumi और एक पनडुब्बी सहित कई नौसैनिक इकाइयाँ शामिल रहीं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक समन्वय, एंटी-सबमरीन वारफेयर और समुद्री सुरक्षा पर केंद्रित यह अभ्यास दोनों लोकतांत्रिक देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

जंगल की आग 10 मिनट में बुझाएंगे एआई से लैस अमेरिकी ड्रोन

अमेरिका की कंपनी सेनेका ने पूरी तरह से स्वचालित (ऑटोनॉमस) फायरफाइटिंग ड्रोन सिस्टम तैयार किया है, जो जंगलों में लगने वाली आग को 10 मिनट से भी कम समय में बुझाने में सक्षम है। ये ड्रोन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तकनीक से लैस हैं। इन्हें चलाने के लिए न तो हेलिपैड की जरूरत है और न ही रीफ्यूलिंग की। इसे बड़े पैमाने पर तैयार करने के लिए करीब 500 करोड़ रुपये की फंडिंग जुटाई गई है।

भारतवंशी इतिहासकार सुनील को ब्रिटिश एकेडमी बुक पुरस्कार

भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को उनकी चर्चित किताब 'द बर्निंग अर्थ' के लिए प्रतिष्ठित ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नॉन-फिक्शन कृतियों को दिया जाता है। अमृत येल यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर हैं। उनकी किताब मानव इतिहास और पर्यावरणीय बदलाव के गहरे संबंधों का दस्तावेज है। दुनियाभर की सर्वश्रेष्ठ गैर-काल्पनिक (नॉन-फिक्शन) पुस्तकों को दिए जाने वाले इस पुरस्कार के तहत 25,000 पाउंड की राशि दी जाती है। अमृत की इस किताब को लंदन स्थित ब्रिटिश एकेडमी में आयोजित समारोह में पुरस्कृत किया गया।

तुर्किये: खुदाई में मिलीं 2,200 साल पुरानी कब्रें और प्राचीन वस्तुएँ

तुर्किये के प्राचीन शहर कोलोस्से में पुरातत्वविदों ने खुदाई के दौरान 2,200 वर्ष पुरानी 60 से अधिक कब्रें खोजीं। इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि इससे उस समय के सामाजिक जीवन के बारे में अधिक सटीक जानकारी मिलने की उम्मीद है। ये सभी कब्रें चट्टान काटकर बनाई गईं हैं। खुदाई में टेराकोटा के बर्तन, कांच की बोतलें, तेल के दीये, सिक्के और सैंडल जैसी कई प्राचीन वस्तुएँ भी मिलीं।

नासा ने खोजा पृथ्वी का अस्थायी दूसरा चंद्रमा 2025 PN7

नासा ने पुष्टि की है कि पृथ्वी को एक नया "अस्थायी चंद्रमा" मिला है - 2025 PN7 नामक छोटा क्षुद्रग्रह, जो सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी जैसी कक्षा में करता है। यह सीधे पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता, बल्कि "क्वासी-मून" के रूप में हमारे ग्रह के साथ-साथ चलता है। इसकी खोज हवाई विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने की थी। यह पृथ्वी से करीब 40 लाख किमी तक पास आता है और 2083 तक हमारे समीप रहेगा। अध्ययन के लिए बेहद मूल्यवान खगोलीय पिंड है।

थाईलैंड की पूर्व महारानी और क्वीन मदर सिरिकित का निधन

थाईलैंड की पूर्व महारानी और क्वीन मदर सिरिकित का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थीं। उनका जन्म 12 अगस्त 1932 को बैंकॉक के एक शाही परिवार में हुआ था। उनके माता-पिता चक्री वंश के पूर्व राजाओं से संबंधित थे। रानी सिरिकित को 'ग्रीन क्वीन' भी कहा जाता था। रानी सिरिकित पति राजा भूमिबोल अदुल्यादेज का निधन 2016 में हुआ था।

अमेरिकी विदेश विभाग में सहायक सचिव बने भारतवंशी पॉल कपूर

भारतीय-अमेरिकी लेखक और सुरक्षा विशेषज्ञ पॉल कोर कपूर ने अमेरिकी विदेश विभाग में दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो (SCA) के नए सहायक सचिव के रूप में शपथ ली है। कपूर ने डोनाल्ड लू का स्थान लिया है।

हनोई में 72 देशों ने संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध संधि पर किए हस्ताक्षर

वियतनाम की राजधानी हनोई में 72 देशों ने संयुक्त राष्ट्र की ऐतिहासिक साइबर अपराध विरोधी अभिसमय संधि पर हस्ताक्षर किए। साइबर अपराधों से निपटने के लिए पहली सार्वभौमिक कानूनी रूपरेखा है। संधि रैनसमवेयर, ऑनलाइन धोखाधड़ी, बाल शोषण और निजी तस्वीरों के दुरुपयोग जैसे अपराधों पर रोक लगाने हेतु वैश्विक सहयोग, साक्ष्य-साझाकरण और तकनीकी सहायता को प्रोत्साहित करेगी। 40 देशों की पुष्टि के बाद यह कानूनी रूप से प्रभावी हो जाएगी।

खेल / कला

नीरज चोपड़ा मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित

देश के स्टार जैवलिन थ्रोअर और दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना की टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीरज को यह सम्मान-चिह्न प्रदान किया। बता दें कि नीरज को 2016 में राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में बतौर सूबेदार शामिल किया गया था।

एशियाई युवा खेल: रंजना ने पैदल चाल स्पर्धा में रजत पदक जीता

भारतीय युवा एथलीट रंजना यादव ने एशियाई युवा खेलों में लड़कियों की 5000 मीटर पैदल चाल स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। इस भारतीय खिलाड़ी ने 23 मिनट 25.88 सेकंड के समय के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि चीन की लियू शियी ने 24 मिनट 15.27 सेकंड के समय से उनसे आगे रहते हुए स्वर्ण पदक जीता। कोरिया की जियोंग चा-योन ने 25 मिनट 26.93 सेकंड के समय से कांस्य पदक प्राप्त किया। एशियाई युवा खेलों में एथलेटिक्स में यह भारत का पहला पदक था। इससे देश के कुल पदकों की संख्या दो रजत और चार कांस्य हो गई। भारत ने अब तक कुराश में एक रजत और दो कांस्य, तथा ताइक्वांडो में दो कांस्य पदक जीते हैं।

मंधाना-रावल: एक मैच में शतक लगाने वाली पहली भारतीय ओपनिंग जोड़ी

भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ आईसीसी महिला वनडे विश्व कप मुकाबले में शतक जड़ा। दोनों ने पहले विकेट के लिए 212 रनों की साझेदारी की। मंधाना और रावल वनडे इतिहास में एक ही मैच में शतक लगाने वाली पहली भारतीय ओपनिंग जोड़ी बनीं। भारत ने बारिश से प्रभावित मैच को आसानी से 53 रन से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और चौथी टीम बनी।

इंडियन एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के 'ऐड गुरु' पीयूष पांडे का निधन

भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज और पद्मश्री से सम्मानित पीयूष पांडे का 23 अक्टूबर को निधन हो गया। उन्होंने 70 साल की उम्र में मुंबई में अंतिम सांस ली। उनकी बहन तृप्ति पांडे ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में पीयूष को इंडियन एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री का 'ऐड गुरु' माना जाता था। पीयूष ने साल 1994 में 'पल्स पोलियो अभियान- दो बूंद जिंदगी की' का नारा दिया था। साथ ही 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कैंपेन का नारा 'अबकी बार मोदी सरकार' लिखा था।

गुकेश और दिव्या ने यूरोपियन चेस क्लब कप में जीता गोल्ड

भारतीय शतरंज खिलाड़ियों डी. गुकेश और दिव्या देशमुख ने यूरोपियन चेस क्लब कप में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते। गुकेश ने सुपर चेस टीम की ओर से टॉप बोर्ड पर और दिव्या ने मोंटे कार्लो क्लब से बोर्ड-2 श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल किया।

सोफी डिवाइन का वनडे से संन्यास का ऐलान

न्यूजीलैंड विमेंस की कप्तान सोफी डिवाइन इस साल भारत और श्रीलंका में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास ले लेंगी। हालांकि, वह टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलती रहेंगी। सोफी ने इसकी घोषणा की। 19 साल का शानदार वनडे करियर 2006 में शुरू हुआ था। वे न्यूजीलैंड की महिलाओं की वनडे मैच खेलने की सूची में सूज़ी बेट्स के बाद दूसरे स्थान पर हैं और रन बनाने वालों में चौथे स्थान पर हैं। उनके नाम 8 वनडे शतक हैं, जो न्यूजीलैंड की महिलाओं में बेट्स के बाद दूसरा सबसे ज्यादा हैं।

सैफ सीनियर चैंपियनशिप में 18 वर्षीय संजना ने दूसरा स्वर्ण जीता

अठारह वर्षीय संजना सिंह ने सैफ सीनियर चैंपियनशिप के दूसरे दिन महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ जीतकर अपना दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने प्रतियोगिता के दूसरे दिन 11 में से सात स्वर्ण पदक जीतकर अपना दबदबा बनाया। संजना ने 1500 मीटर में चार मिनट 25.36 सेकंड का समय निकालकर श्रीलंका की डब्ल्यू के एल अराच निमाली (4:25.52) को पछाड़कर स्वर्ण पदक जीता।

छत्तीसगढ़ की संकीर्तन ने 800 मीटर दौड़ में तीसरा स्थान हासिल किया

चौथी साउथ एशियन (सैफ) सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की बेटी थोटा संकीर्तन ने 800 मीटर महिला दौड़ में तीसरा स्थान हासिल करने में सफलता पाई। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित इस स्पर्धा में थोटा संकीर्तन ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक जीता। भिलाई के चरौदा निवासी संकीर्तन प्रदेश की एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। इस इवेंट में भारत की अमनदीप कौर ने स्वर्ण पदक जीता। सैफ खेलों में भारत समेत बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।

भारत के रवि कुमार ने शॉटपुट में जीता रजत पदक

भारत के रवि कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण एशियाई चैंपियनशिप की शॉटपुट स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक भी भारत के ही समरदीप सिंह गिल ने हासिल किया। वहीं श्रीलंका के मिथुन राज ने कांस्य पदक अपने नाम किया। महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में भारतीय एथलीट योगिता ने स्वर्ण और उनकी हमवतन शिक्षा ने रजत पदक जीता।

प्रीतिस्मिता ने बनाया एशियाई यूथ खेलों में विश्व रिकॉर्ड जीता गोल्ड मेडल

भारतीय भारोत्तोलक प्रीतिस्मिता भोई ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई यूथ खेलों में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीत कर देश को तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया है। प्रीतिस्मिता ने क्लीन एंड जर्क और कुल वजन में यूथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। 44 किलो भार वर्ग में 158 किलो वजन उठाते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने स्नैच में 66 किलो और क्लीन एंड जर्क में 92 किलो वजन उठाया। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली प्रीतिस्मिता ने 150 किलो वजन उठाया था।

संचालनालय महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती. भवन, ब्लाक-1, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर

दूरभाष क्रमांक 0771-2234192, 2234188 (Fax) email: dirwcd.cg@nic.in

क्रमांक / 11875/मबावि/मसमि/25-26 नया रायपुर दिनांक 16.10.2025

मिशन शक्ति अंतर्गत महिला (सशक्तिकरण केन्द्र के राज्य स्तरीय) पदों पर कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में विज्ञापन

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं बचाव हेतु एक अम्ब्रेला योजना "मिशन शक्ति" की शुरुआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत सभी आने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र (State Hub for Empowerment of Women) स्थापित है। राज्य स्तरीय महिला संसाधन केन्द्र के 03 पदों पर एकमुश्त / संविदा मासिक वेतन पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से दिनांक 18/10/2025 से 11/11/2025 तक विभाग की वेबसाईट https://we.e-bharti.in/shew पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। पदों एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है -

क्र	पदनाम	पद संख्या			वेतन मैट्रिक्स लेवल	निर्धारित एकमुश्त /संविदा मासिक वेतन (प्रतिमाह)	चयन प्रक्रिया	अधिकतम आयु
		UR	ST	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जेण्डर विशेषज्ञ	1	1	02	10	31450/-	सीधी भर्ती-एकमुश्त वेतन /संविदा वेतन	45* वर्ष
2	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ	0	1	01	09	27740/-		45* वर्ष

* छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा पर छूट के आलोक में पद क्रमांक 1 एवं 2 पर सभी छूटो को मिलाकर अधिकतम आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

पदों पर चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता, वेतन भत्ते अन्य सुविधाएं, चयन हेतु आर्हता, मापदंड एवं अन्य शर्तें, आयु सीमा, अनुभव, कार्य दायित्व, चयन प्रक्रिया एवं अन्य विवरण-www.egstate.gov.in एवं www.egwed.gov.in वेबसाईट पर भी देखा जा सकता है।

विज्ञापन अनुसार ऑनलाईन आवेदन दिनांक 11/11/2025 की संध्या 5:00 बजे तक विभाग की वेबसाईट https://we.e-bharti.in/shew के माध्यम से ही प्रेषित किये जावें। निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

राज्य महिला सशक्तिकरण केन्द्र (State HUB for Empowerment of Women) के पदों पर चयन हेतु योग्यता, वेतन भत्ते सुविधाएं, आर्हताएं एवं अन्य नियम व शर्ते :-

1.विज्ञापित पदों का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र	पदनाम	पद संख्या			वेतन मैट्रिक्स लेवल	निर्धारित एकमुश्त /संविदा मासिक वेतन (प्रतिमाह)	चयन प्रक्रिया
		UR	ST	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जेण्डर विशेषज्ञ	1	1	02	10	31450/-	सीधी भर्ती-एकमुश्त वेतन /संविदा वेतन
2	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ	0	1	01	09	27740/-	

2. इन पदों पर शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव का विवरण-

क्र	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
1	2	3	4	5	6
1	जेन्डर विशेषज्ञ	सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.ए. समाज शास्त्र, एम.एस.डब्ल्यू. एम.बी.ए. रूरल मैनेजमेंट एवं अन्य सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विषय में अपेक्षित डिग्री)	कम्प्यूटर का ज्ञान, जिसमें एम.एस. ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग (हिंदी/अंग्रेजी) में तथा वेब आधारित प्रासंगिक प्रणाली पर कार्य करने की क्षमता	• जेण्डर से संबंधित कार्यों का शासकीय / अर्द्धशासकीय / गैर सरकारी संगठन के साथ जेण्डर केन्द्रित विषय पर कार्यानुभव या महिला की सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित क्षेत्रों में किये गये कार्य का कम से कम 03 वर्ष का कार्यानुभव • (केवल अजजा वर्ग के पर्याप्त आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में 02 वर्ष का अनुभव को भी मान्य किया जावेगा।)	• अंग्रेजी भाषा का ज्ञान।
2	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ	सामाजिक कार्य/ अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री	कम्प्यूटर का ज्ञान, जिसमें एम.एस. ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग (हिंदी/अंग्रेजी) में तथा वेब आधारित प्रासंगिक प्रणाली पर कार्य करने की क्षमता	• महिलाओं से संबंधित प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों का शासकीय /अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठन का कार्यानुभव या महिला की सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित क्षेत्रों में किये गये कार्य का कन से कम 03 वर्ष का कार्यानुभव • (केवल अजजा वर्ग के पर्याप्त आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में 02 वर्ष का अनुभव को भी मान्य किया जावेगा।)	• अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। • महिलाओं से संबंधित विषय पर अनुसंधान रिपोर्ट/पेपर प्रकाशन।

शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए।

उपरोक्त उल्लेखित्त योग्यता ना रखने वाले उम्मीद्वार आवेदन ना करें।

3. **वेतन भत्ते, अन्य सुविधाओं का विवरण -**

यह पद भारत शासन की मिशन शक्ति अंतर्गत योजना के पद है, भारत शासन के दिशा-निर्देश के अनुसार एवं दी जा रही वित्तीय सहायता अवधि तक ही तथा निर्धारित संविदा (एकमुश्त) वेतन पर होंगे।

पदों हेतु वेतन संबंधी विवरण उपरोक्तानुसार विज्ञापन में कॉलम क्रमांक 7 पर उल्लेखित एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा तथा संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी। सेवा समाप्ति के उपरांत नियुक्त कर्मचारी को किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान, भत्ता एवं मृत्यु लाभ इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।

इन कर्मियों को अवकाश सुविधा तथा यात्रा भत्ता की पात्रता संविदा नियम 2012 (यथा संशोधित समय-समय पर) अनुसार ही देय होगी।

4. **आयु सीमा**

आयु की गणना दिनांक 01.01.2025 की स्थिति में की जाएगी।

जेण्डर विशेषज्ञ तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ पद हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2025 को 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को आयु सीमा में छूट के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप छूट की पात्रता होगी किंतु सभी छूटो को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

आयु के सत्यापन / समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 8वीं, 10वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज़ सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।

5. **नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ निवासी संबंधी मापदंड**

जेण्डर विशेषज्ञ तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को, इन पदों हेतु 02 बोनस अंक दिया जाएगा।

6. आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी।
9. आवेदन केवल ऑनलाईन माध्यम से ही किया जावे।
10. अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
11. आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्तिकर्ता अधिकारी (आयुक्त/संचालक) का निर्णय ही अंतिम होगा। जेण्डर विशेषज्ञ तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ के पदपूर्ति हेतु दोनो पदों के केवल अजजा वर्ग के पर्याप्त आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में 02 वर्ष का अनुभव भी मान्य किया जा सकेगा।
12. किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
13. शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठन में कार्यरत कर्मचारियों को नियोक्ता कार्यालय प्रमुख के अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा। लिखित परीक्षा/समूह चर्चा/स्किल टेस्ट में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/व्यय भत्ता देय नहीं होगा।
14. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदनों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन अमान्य कर दिये जायेंगे। निर्धारित योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार आवेदन न करें।
15. प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

क्रमशः

(पिछले पृष्ठ का शेष)

16. आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

17. उपरोक्तानुसार आर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक-इन-इंटरव्यू एवं कौशल परीक्षा (आवश्यक हो तो) के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी।

18. कौशल परीक्षा/वॉक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता / अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

19. योजना के अंतर्गत एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्त कर्मी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।

20. नियुक्ति की अवधि इन समस्त पदों पर प्रथम बार में नियुक्ति संविदा/ एकमुश्त वेतन पर 02 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। तत्पश्चात् योजना संचालन की निरंतरता, कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर सेवा अविध 01 वर्ष के लिए बढाए जाने का निर्णय आयुक्त/ संचालक द्वारा लिया जाएगा। अन्यथा संविदा सेवा की अवधि की समाप्ति पर एवं न बढ़ाए जाने पर नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त माना जायेगा।

चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत कर्मियों की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी न ही कोई स्वत्वों का भुगतान किया जाएगा।

21. उपरोक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

क्र	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता	चयन प्रक्रिया
1	जेन्डर विशेषज्ञ	• सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री • जेण्डर से संबंधित कार्यों का शासकीय /अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठन के साथ जेण्डर केन्द्रित विषय पर कार्यानुभव या महिला की सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित क्षेत्रों में किये गये कार्य का कम से कम 03 वर्ष का कार्यानुभव।	1. वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक। 2. प्रत्येक न्यूनतम अनुभव के पश्चात् अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे। अधिकतम 18 अंक। 3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों को 02 बोनस अंक दिए जाएगे। 4. उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी। 5. वॉक इन इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर दोनों रखा जाना है वहां दोनों में 10-10 अंक होंगे। 6. अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।
2	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ	• सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री। • महिलाओं से संबंधित प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों का शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठन का कार्यानुभव या महिला की सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित क्षेत्रों में किये गये कार्य का कम से कम 03 वर्ष का कार्यानुभव।	

22. समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार तालिका के चयन प्रक्रिया कॉलम के उप कंडिका 1, 2, 3 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु जेण्डर विशेषज्ञ तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ पद के लिए मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:5 के रेशियो में अथवा चयन समिति के निर्णय पर 1:10 में प्रत्येक पद के लिए मेरिट लिस्ट तैयार कर वॉक-इन-इंटरव्यू / कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों के संबंध में संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

23. चयन सूची में चयनित अभ्यर्थी के नाम के साथ प्रतिक्षा सूची भी जारी की जायेगी, जो कि 01 वर्ष के लिये मान्य होगी। यदि कोई अभ्यर्थी चयनित होकर पद ग्रहण कर लेता है और यदि किसी परिस्थितिविश कारणों से 01 वर्ष के भीतर पद त्याग करता है या 01 वर्ष के भीतर नियोक्ता इनकी सेवा सगाप्त करता है तो इस 01 वर्ष के भीतर इस मान्य प्रतीक्षा सूची से अगले क्रम के अभ्यर्थी का चयन किया जा सकेगा।

24. ऑनलाईन आवेदन के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची के साथ चाही गई जानकारी अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

25. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदनों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।

26. ऑनलाईन आवेदन केवल दिनांक 11/11/2025 की संध्या 5:00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

संचालक
महिला एवं बाल विकास
नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)

आर.ओ.167/जी-252604287.3

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

"ADVERTISEMENT"

Applications are invited for recruitment to the following posts in the establishment of High Court of Chhattisgarh, Bilaspur through CGVYAPAM:-

Sl.No.	Name of Posts		Level in Pay Matrix		Total Number of posts
1	Junior Judicial Assistant		4		124
Castegory	UR	SC	ST	OBC	Posts Reserved for Divyang
No. of Posts	46 Posts (Including 21 Women)	25 Posts (Induding 07-Women)	31 Posts (Including 09-Women)	22 Posts (Including 06-Women)	Out of total vacancies, 11 posts are reserved for Physical Disabled Persons.

Sl.No.	Name of Posts		Level in Pay Matrix	Total Number of posts
2	Junior Judicial Assistant(Computer)		4+200/S.P.	09
Category	UR	SC	ST	OBC
No. of Post	05 Posts (Including 01 women)	01 Post	02 Post	01 Post

Date of Examination: 04.01.2026

For further details, interested candidates may visit the website of https://vyapamcg.cgstate.gov.in/

Sd/-
Registrar General
High Court of Chattisgarh,
Bilaspur

आर.ओ.168/जी-252604279.5

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी रायपुर

वनमण्डल, रायपुर (छत्तीसगढ़)

(0771) 2427640, Fax: 2427640-E-mail-dfo_raipur@rediffmail.com

क्रमांक/स्था./रा./3275 रायपुर, दिनांक 14/10/2025

// शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षण की सूचना//

छत्तीसगढ़ शासन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विभिन्न वनमण्डलों को आबंटित वनरक्षक सीधी भर्ती के 1484 पद में से नोडल अधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर को आबंटित 63 पदों में सीधी भर्ती के पात्र अभ्यर्थियों के दक्षता परीक्षण स्वामी विवेकानंद स्टेडियम, कोटा, रायपुर में दिनांक 25.11.2024 से 06.12.2024 तक करायी गई है। ऐसे अभ्यर्थी जिनका लम्बी कूद मैनुअल कराया गया है, तथा जिन्होनें अन्य तीनों इवेंट में न्यूनतम अंक व इससे अधिक अंक प्राप्त किये है, को सूचित किया जाता है, कि दिनांक 06.11.2025 से 08.11.2025 तक प्रातः 06:00 बजे से स्वामी विवेकानंद स्टेडियम, कोटा, रायपुर में डिजीटल टेक्नोलॉजी सिस्टम से दक्षता परीक्षण लम्बी कूद कराये जाने हेतु आवश्यक दस्तावेज के साथ उपस्थित होवें। अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र विभागीय वेबसाईट WWW.forest.cg.gov.in में अपलोड कर दी गई है।

वनमण्डलाधिकारी एवं नोडल अधिकारी
रायपुर वनमण्डल, रायपुर

आर.ओ.169/जी-252604189/5

कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला जशपुर, छ.ग (जिला कार्यकम प्रबंधन ईकाई)

Ph No 07763223375, Fax No- 07763220654 (dpmu.jas@gmail.com, cmohealth@gmail.com)

क्रमांक/15572/ एन.एच.एम./2025 जशपुर दिनांक 17/10/2025

// सूचना //

कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक/422/एन.एच.एम./संविदा भर्ती/ 2024-25 जशपुर, दिनांक 18.01.2025 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/जिला स्वास्थ्य समिति जिला जशपुर (छ.ग.) के अन्तर्गत रिक्त संविदा पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। दावा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु पात्र/अपात्र सूची जारी किया गया था। अभ्यर्थियों द्वारा उक्त सूची पर दावा आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया था। दावा आपत्ति निराकरण पश्चात पात्र-अपात्र सूची जिले की वेबसाईट www.jashpur.nic.in में अपलोड की गयी है।

दावा आपत्ति निराकरण पश्चात पात्र-अपात्र सूची हेतु अभ्यर्थी जिले की वेबसाईट www.jashpur.nic.in का अवलोकन कर सकते हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-जशपुर (छ.ग.)

आर.ओ.170/जी-252604296.4

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

ADV. NO.- 05/Legal Assistant/2025 **LAST DATE: 17.11.2025 Till 5.00 P.M.**

Applications are invited from all eligible candidates for the post of "Legal Assistant" in the establishment of High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, carrying a fixed honorarium of Rs. 30,000/- per month with no Dearness Allowance and/or any other allowances and also without any other perquisites such as residential accommodation etc. The engagement shall be purely contractual based for a fixed term of one year (extendable on periodical basis, upto a maximum period of three years, subject to the approval of the Hon'ble the Chief Justice). However, the term may be terminated at any time, without any notice.

LEGAL ASSISTANT

Number of Vacancies: 10

Category	Number of posts	Reserved for Women
UR	01	
SC	04 (03 Second & 01 First Time Backlog Posts)	Including 01 for Women
ST	05 (04 Second Time Backlog Posts)	Including 01 for Women (Second Time Backlog)
OBC	00	
Total	10 Posts	

Note:-

1. The number of posts may increase or decrease and the number of reserved posts may also vary at any time. This advertisement/recruitment and appointment shall be subject to final outcome of the S.L.P. (C) No. 19668/2022 of Supreme Court of India?
2. The posts reserved for SC, ST, OBC are reserved only for SC, ST, OBC who are the bonafide residents of Chhattisgarh State. The applicants who are bonafide residents of other state & recognized as SC, ST, OBC in their own states, will be considered only against the UR posts.
3. The candidates belonging to OBC should not be in the creamy layer.
4. Reservation shall be given to the women candidates, only who are local residents of State of Chhattisgarh.

Essential Qualifications:

1. Three Years Professional/Five Years Integrated Degree in Law from any Law College or recognized University throughout the country. Applications shall be accepted from such 'Law Graduates' who have not started practice as an advocate or not engaged in any other profession or vocation/service. Those who have appeared in LL.B. (Final Year) Examination and are awaiting results may also apply. Law graduates having scored not less than 55% marks in their LL.B. examination are only eligible to apply for the post of Legal Assistant. They will be required to submit their final mark sheet of LL.B. Examination at the time of interview.
2. Computer knowledge, i.e., Data Entry, Word Processing and Computer Operations.

Age Limit:

The Candidate must have attained the minimum age of 21 years and must not attained the maximum age of 30 years as on 1 January of the year in which advertisement is issued. (Age relaxation shall be applicable as per State Govt. Rules)

Selection Procedure:

For making selection, competence would be judged on the basis of interview only. The candidates for interview will be called only after screening. No T.A. will be payable for attending the interview.

Nature of work:

The successful candidates will be attached with Hon'ble Judges of High Court of Chhattisgarh, Bilaspur and shall discharge duties under directions of their Lordships. Basically, the Legal Assistants will be required to carry out search and research on legal points and principles as desired by the Hon'ble Judge with whom he/she remains attached. He/she shall assist the Hon'ble Judge in searching out case law, articles, papers and other relevant material required by the Hon'ble Judges in discharge of judicial as well as administrative work. Besides attending the Chambers of Hon'ble Judges, the Legal Assistants may also be asked to be present in Court during hearing of the arguments, take down or prepare notes in Court. The research work assigned to Legal Assistants may include performing legal research, drafting memorandums and opinion, comments on statutes, relevant to questions of law. Assistance from the Legal Assistants may also be taken in proper maintenance of the case files. Assistance in administrative functioning of the Judge shall also be desirable which shall include maintaining of administrative files, preparation of research of academic papers, maintaining record of judgments, the points of law decided in various judgments by a Judge, maintenance of records regarding administrative correspondence etc.

Apart from the above mentioned duties and responsibilities, the Legal Assistants shall perform any other duty as assigned by the Judge concerned with regard to His judicial and administrative functions. The "Legal Assistants" shall be imparted training with regard to procedure and substantive law to assist the Hon'ble Judges in discharging their judicial and administrative functions. The Legal Assistants will also be provided the schedule of training and the details of the nature of job, which they have to perform during their year of engagement. Specific assignments shall be given by the Hon'ble Judge with whom they are attached.

Restriction on Practice:

Legal Assistants, from the date of termination of his/her engagement as Legal Assistants shall not appear in any case handled by the Hon'ble Judge(s) with whom he or she had attached, irrespective whether he/she had or not worked on that case during the period of his engagement. The candidates shall furnish an undertaking to the above effect on proforma prescribed herein after.

Other Conditions of Engagement:

The Legal Assistants shall be granted leave of absence as may be approved by the Hon'ble Judge to whom he/she is attached subject to a maximum of fraction of 8 days per year vis-a-vis their period of assignment.

Period of Engagement:

The engagement shall be for a fixed term of one year only from the first date fixed for joining, which may be terminated without notice at any time.

Marital Status:

A candidate having more than one spouse or married to such a person who already had a living legally wedded wife/husband, will not be eligible.

क्रमशः

Disqualification:

(1) A candidate involved in any kind of criminal case whether convicted or charge-sheeted shall be barred from applying for the above post.

How to Apply?

1. The applications form are available on the official website of High Court of Chhattisgarh (https://highcourt.cg.gov.in/) and may be downloaded.
2. The application form along with one duly attested copy of High School Mark Sheet, High School Certificate in proof of age/date of birth, Higher Secondary School Certificate Mark Sheet, Higher Secondary School Certificate Pass Certificate, Graduation/Post Graduation Mark Sheets, Permanent Caste Certificate, Domicile Certificate and Certificates and testimonials regarding Extra Curricular Activities and Computer Knowledge should be sent to the Registrar General, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur by Speed Post or through Courier.

(Rajnish Shrivastava)
REGISTRAR GENERAL

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR
(Application Form)
Name of Post: Legal Assistant

Adv. No. 05/Legal Assistant/2025 Last Date: 17.11.2025
Till 5.00 P.M.

Paste latest Taken on or After 01.01.2025 Colored Passport size Photograph duly self signed and attested By Gazetted Officer.

1. Name of Applicant ----------------
   (in CAPITAL letters)
2. Date of birth ----------------
3. Sex (Male/Female) ----------------
4. Nationality ----------------
5. Full Name of Father/Husband----------
6. Category (UR/ST/SC/OBC)-------------
   (In case of ST/SC/OBC, submit copy of permanent Caste Certificate)
7. Whether resident of Chhattisgarh (Yes/No):-
   If yes, submit copy certificate--------------
8. Whether practicing as an Advocate or engaged in any other profession or vocation/service (Yes/No):---------
   If yes, submit details with documents.----------------
9. Whether convicted or accused any criminal case (Yes/No):------
   If yes, submit details with documents.........................
10. Whether worked as Legal Assistant in the High Court of Chhattisgarh (Yes/No):-
    If yes, submit details with documents....................
11. Present Postal Address--
12. Contact Number/Mobile Number.-------------------------------
13. Educational Qualifications:

Name of Exam Passed	Name of Board/University	Name of Institution/College	Year of Passing	Total Marks	Marks Obtained	Percentage of Marks obtained

14. Do you have Computer knowledge i.e. Data Entry, Word Processing and Computer Operations? (Yes / No)

(a) Whether you have undergone any certificate/diploma course in Computer operation from a recognized Institute? Please give particulars..
....

15. Are you married (Yes/No.)
    If yes, do you have more than one spouse living or married a person having a spouse living?

(Signature of applicant)

NOTE:

1. Candidates should affix a latest coloured photograph in passport size with his/her own signature thereon and duly attested by some Gazetted Officer at the place provided in the application.
2. The envelope containing application should be marked "APPLICATION FOR THE POST OF LEGAL ASSISTANT".
3. An envelope shall contain only one application form. An envelope containing more than one application form, shall be stand rejected.
4. Candidates must attach certified copies of the certificates in support of their age and educational qualifications, extra curricular activities and also in support of their having computer knowledge, with the application form.
5. Applications may be sent by Speed Post OR through Courier.
6. Application will be rejected if photo is not pasted or if certified copy of certificates are not attached with it or if it is not signed by the applicant or if it is not received by the last date/time.
7. Applications received after last date shall not be entertained and the Court will not be responsible for any postal delay. The defective applications, which are not complete in any respect, will be rejected out-right.
8. Selected candidate shall give an undertaking on the prescribed proforma that during the engagement as Legal Assistant, he/she shall not practice in any court of law nor engage himself/herself in any professional pursuit.
9. The candidates are required to furnish a check list along with application form mentioning therein details (as per format enclosed) about the certificates and the testimonials enclosed with the form.
10. Information regarding format of application and other information are also available on the website of High Court of Chhattisgarh, Bilaspur at https: //highcourt.cg.gov.in/

(Rajnish Shrivastava)
REGISTRAR GENERAL

UNDERTAKING

I----------------------------- do hereby undertake and accept the following terms and conditions of my assignment as Legal Assistant:-

1. I have been engaged purely on contractual basis for a period of one year and no claim as an employee of the Court shall be made by me.
2. My period of assignment can be terminated on the recommendation of the Judge to whom I am attached by one months' notice or payment of one months' salary in lieu thereof and I may also opt to leave assignment on one months' notice to the Registrar General.
3. I shall render duty at the Court/Chambers/Residential Office of Hon'ble the Chief Justice/Hon'ble Judge according to the convenience of His Lordship and the duty hours shall

क्रमशः

(पिछले पृष्ठ का शेष)

be such as prescribed by the concerned Hon'ble Judge.

4. I shall be granted leave of absence as may be approved by the Hon'ble Judge to who I am attached subject to a maximum of fraction of 8 days per year vis-a-vis my period of assignment.
5. I shall not absent myself from duty without prior permission of the Hon'ble Judge. In case of absence due to sudden illness or some other unforeseen circumstances beyond control, I shall give intimation thereof without delay. I understand that no remuneration will be paid for any unauthorised absence from duty as also for the days exceeding permissible leave.
6. I shall maintain a high standard of reputation and integrity commensurate with the responsibilities entrusted to me. I shall maintain utmost secrecy in respect of matters which come to my notice by virtue of the assignment and shall ensure that no information, documents or any other thing is leaked out because of mishandling of papers or my deliberations with others, or in any manner.
7. At all times i.e. even after the completion of the assignment, I shall maintain complete secrecy regarding the work assigned to me by the Hon'ble Judge.
8. I understand that I shall be governed by the provisions of the Indian Penal Code and the Indian Official Secrets Act, 1923 as applicable to any public servant.
9. I shall not practice as an Advocate in any Court of law during the course of assignment as Legal Assistant.
10. From the date of termination of my engagement as Legal Assistant, I shall not appear in any case handled by the Hon'ble Judge(s) with whom I was attached, irrespective whether I had or not worked on that case during the period of my engagement.

Signature..............
Name.........................
Address....................

INDEX FOR CHECK LIST

Candidate should mark (✓) against relevant column to indicate the documents enclosed with the application form.

Sl.No	Particulars	Document attached
1.	Duly attested mark sheet of High School or Equivalent	
2.	Duly attested certificate of High School or Equivalent	
3.	Duly attest ed mark sheet of Higher Secondary School Certificate or Equivalent	
4.	Duly attested certificate of Higher Secondary School Certificate or Equivalent	
5.	Duly attested mark sheet of Graduation or Equivalent. (B.A. /B.Sc./ B.Com. etc.)	
6.	Duly attested certifi cate of Graduation or Equivalent (B.A./B.Sc./ B.Com. etc.)	
7.	Duly attested mark sheet of LL.B.	
8.	Duly attested certificate of LL.B.	
9.	Duly attested mark sheet of Post-Graduation or Equivalent	
10.	Duly attested certificate of Post-Graduation or Equivalent	
11.	Duly attested computer Knowledge Certificate	
12.	Details of Other certificates & testimonials (if any)	
13.	Duly attested domicile certificate	
14.	Duly attested Permanent Caste Certificate belonging to (ST/SC/OBC)	
15.	Any other document, (if required)	

Number of Total documents attached:............

(Signature of Applicant)

आर.ओ.171/जी-252604271.5

कार्यालय वनमंडलाधिकारी बालोद

वनमंडल बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)

काष्ठागार परिसर, दल्ली रोड़, बालोद

फोन नं. 07749-223904 ई-मेल.dfobalod@yahoo.com

क्रमांक /स्था./1882 बालोद, दिनांक 29/10/2025

// शारीरिक दक्षता परीक्षण की सूचना //

छत्तीसगढ़ शासन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विभिन्न वनमंडलों को आबंटित वनरक्षक सीधी भर्ती के 1484 पद में से नोडल अधिकारी बालोद वनमंडल के अंतर्गत वनरक्षक के कुल 20 (बालोद वनमंडल से 13 एवं दुर्ग वनमंडल से 07) रिक्त पदों की सीधी भर्ती के पात्र अभ्यर्थियों का दक्षता परीक्षण सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम बालोद में दिनांक 25.11.2024 से 29.11.2024 तक करायी गई है। ऐसे अभ्यर्थी जिनका लंबीकूद मैनुअल कराया गया था, को सूचित किया जाता है कि दिनांक 05.11.2025 से 08.11.2025 तक प्रातः 06.00 बजे से काष्ठागार डिपो, वन परिसर दल्लीरोड़ बालोद में लंबीकूद दक्षता परीक्षण डिजीटल टेक्नोलॉजी सिस्टम के माध्यम से पुनः कराई जायेगी, जिसमें अभ्यर्थी अपना आवश्यक दस्तावेज के साथ उपस्थित होवें। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र अथवा अन्य जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट forest.cg.gov.in में देख सकते है।

वनमंडलाधिकारी
एवं नोडल अधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

आर.ओ.172/जी-252604420/3

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, कोंडागांव

वनमंडल, कोंडागांव जिला-कोंडागांव (छ.ग.)

Tel/Fax 07786-242303 E-mail: southfedkgn@yahoo.co.in

"वनरक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु सूचना"

छत्तीसगढ़ राज्य वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के कोंडागांव, केशकाल एवं नारायणपुर वनमंडल अंतर्गत वनरक्षक के 74 पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 10/12/2024 से 16/12/2024 तक शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षण की कार्यवाही की गई, जिसमें कुछ अभ्यर्थियों का इवेन्ट मैनुअली एवं कृत्रिम प्रकाश में कराया गया है। उन अभ्यर्थियों का पुनः डिजीटल टेक्नोलॉजी सिस्टम के माध्यम से सूर्यास्त से पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण दिनांक 04/11/2025 से 06/11/2025 तक प्रातः 6.00 बजे स्थान- न्यू स्टेडियम, कनेरा रोड, कोंडागांव में निर्धारित है। अभ्यर्थियों के नाम की सूची विभागीय वेबसाईडः-www.cgforest.com में उपलब्ध है, जिसमें अभ्यर्थी अपना नाम एवं इवेन्टवार विवरण देख सकते है तथा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते है।

वनमंडलाधिकारी
कोंडागांव वनमंडल, कोंडागांव

आर.ओ.173/जी-252604353/4

कार्यालय प्रधान

मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर 19, नवा रायपुर, अटल नगर

फोनः 0771-2512817 फैक्सः 0771-2512817 ईमेलः apeefng@gmail.com

छत्तीसगढ़ राज्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत विभिन्न वनमण्डलों में वनरक्षक के 1484 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 01.11.2025 को आयोजित दक्षता परीक्षण की तिथि परिवर्तन की सूचना बाबत्

******

छत्तीसगढ़ राज्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत विभिन्न वनमण्डलों में वनरक्षक के 1484 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षण की कार्यवाही दिनांक 28.10.2025 से प्रारंभ की गई है। राज्य में 01 नवम्बर 2025 को "राज्य स्थापना दिवस" के उपलक्ष्य में स्थानीय/सामान्य अवकाश घोषित है। अतः नोडल वनमण्डल रायगढ, महासमुंद, कांकेर, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर में दिनांक 01.11.2025 को आयोजित दक्षता परीक्षण की तिथि में परिवर्तन किया गया है। अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिये विभागीय वेबसाईट www.forest.cg.gov.in अथवा चयनित नोडल वनमण्डल कार्यालय से संपर्क करें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा./अराज.)
अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

आर.ओ.174/जी-252604381/5

कार्यालय अधिष्ठाता

स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.)

क्रमांक/5737/ स्था./शाचिम/2025 — जगदलपुर, दिनांक 24/10/2025

(वॉक-इन-इन्टरव्यूह)

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.) हेतु स्वीकृत निम्नलिखित शैक्षणिक एवं चिकित्सकीय रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतु शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए संविदा भर्ती हेतु कार्यालय अधिष्ठाता, स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर में प्रत्येक माह में अंतिम सप्ताह के गुरुवार को प्रातः 11:00 बजे "वाक इन इन्टरव्यू" आयोजित किया जाता है।

इस संस्था के विभिन्न विभागों में आरक्षित/अनारक्षित वर्ग के चिकित्सा शिक्षकों, चिकित्सकों, सीनियर रेसीडेंट, जूनियर रेसीडेंट, प्रदर्शक/ट्यूटर एवं अन्य चिकित्सक प्रथम, द्वितीय श्रेणी के रिक्त पदों पर आरक्षण रोस्टर अनुसार संविदा नियुक्ति हेतु मेडिकल इंडिया के मापदण्ड की अर्हता अधिकतम आयु 70 वर्ष तक नियुक्ति मान्य होगी) रखते हों। योग्य उम्मीद्वार (MBBS, PG, Certificate, Registration, Pan Card, Experience Certificate, Domicile Certificate, Caste Certificate and Relieving letter from previous institution, applicable etc.) एवं उनकी स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ इस महाविद्यालय में कार्यालयीन समय में स्वयं के व्यय पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते है।

क्र.	प्राध्यापक	एक मुश्त संविदा वेतन	रिक्त पद	अनुसूचित जन जाति	अनुसूचित जाति	अ.पि.वर्ग	अना.
1	प्राध्यापक	2,25,000/–	04	01	01	01	01
2	सह प्राध्यापक	1,85,000/–	13	04	02	02	05
3	सहायक प्राध्यापक	1,25,000/–	22	07	03	03	09
4	सीनियर रेसिडेंट(पी.जी.)	95,000/–	25	08	03	03	11
5	प्रदर्शक(पी.जी.) प्रदर्शक (एमबीबीएस)	95,000/– 53,000/–	02	01	00	00	01

विज्ञापन में दर्शित रिक्त पदों की विभागवार जानकारी चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल, जगदलपुर की वेबसाईट https://www.gmcjagdalpur.ac.in/ पर उपलब्ध है। रिक्त पदों की संख्या समय समय पर परिवर्तनीय है।

"शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल, जगदलपुर के अंतर्गत चिकित्सा शिक्षकों/चिकित्सकों/रेसीडेंट डॉक्टरों के रिक्त पदों की विभागवार सूची"
(अक्टूबर-2025 की स्थिति में)

क्र.	पदनाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	विभागवार रिक्त पदों की संख्या
1	प्राध्यापक	4	एनाटॉमी– 01
			फार्माकोलॉजी– 01
			माईक्रोबायोलॉजी– 01
			रेडियोडायग्नोसिस– 01
2	सह प्राध्यापक	13	एनाटॉमी– 01
			फिजियोलॉजी– 01
			फार्माकोलॉजी– 01
			पैथोलॉजी –01
			माईक्रोबायोलॉजी– 01
			मेडिसीन–01
			चर्म रोग– 01
			मनोरोग– 01
			सर्जरी–02
			नेत्ररोग– 01
			स्त्रीरोग एवं प्रसूति–01
			रेडियोथेरेपी–01
3	सहायक प्राध्यापक	22	एनाटॉमी– 02
			फिजियोलॉजी बायोफिजिक्स– 02
			फार्माकोलॉजी फार्मासिटीकल केमेस्ट्री– 03
			पैथोलॉजी– 01
			फॉरेंसिक मेडिसीन– 01
			पी.एस.एम. /एपीडेमोलॉजिस्ट – 04
			चर्म रोग– 01
			मनोरोग–01
			शिशुरोग– 02
			सर्जरी–02
			निश्चेतना– 02
			रेडियोडायग्नोसिस– 01
4	सीनियर रेसीडेंट	25	मेडिसीन– 05
			शिशुरोग–01
			टी.बी.एण्ड चेस्ट–2
			मनोरोग–02
			सर्जरी– 03
			नाक,कान एवं गला –01
			नेत्ररोग– 01
			निश्चेतना– 06
			रेडियोडायग्नोसिस–04
5	प्रदर्शक/ट्यूटर	02	एनाटॉमी– 01
			बायोकेमिस्ट्री– 01

टीप :– रिक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय है।

अधिष्ठाता
स्व. बी.आर.के.स्मृति
शाचिम डिमरापाल, जगदलपुर

आर.ओ.175/जी-252604357/3

कार्यालय संचालक

मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग

(इन्द्रावती भवन, विभागाध्यक्ष कार्यालय ब्लाक नं.1 द्वितीय तल नवा रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर छ.ग.)

E-Mail-govtprintingstationerydept@gmail.com

नवा रायपुर अटल नगर-492002
दूरभाषः कार्यालय 2331302

विज्ञप्ति क्रमांक/617/स्था./सीधी भर्ती/2025 — दिनांक 14/10/2025

छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 2-08/2021/सात-4 नवा रायपुर दिनांक 28 मार्च 2024 में दिये गये निर्देशानुसार सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की सहमति दिये जाने के उपरांत आनलाईन आवेदन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर के माध्यम से वेबसाईट vyapamcg.cgstate.gov.in पर आमंत्रित किये जाते है। पदों का विवरण निम्नानुसार हैः-

स.क्र.	पद का नाम	कुल पदों का योग	वेतन मैट्रिक में वेतन लेवल
1	मेकेनिक कम इलेक्ट्रिशियन	1	6
2	मेकेनिक	1	6

टीपः-

1. विज्ञापित किये गये पदों की रिक्तियों की सख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।
2. उपरोक्त पदो के संबंध में विस्तृत विज्ञापन, परीक्षा का पाठ्यक्रम, एवं परीक्षा कार्यक्रम आनलाईन आवेदन की विधि तथा अन्य विस्तृत जानकारी व्यापम की वेबसाईट vyapamcg.cgstate.gov.in पर देखा जा सकता है।
3. उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन उपरांत नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस. एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होगी।
(संचालक महो. द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक
मुद्रण तथा लेखन सामग्री
छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर

आर.ओ.176/जी-252604388/3

संचालनालय महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-1, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर

दूरभाष क्रमांक 0771-2234192, 2234188 (Fax) email: dirwcd.cg@nic.in

क्रमांक /11875/मबावि/मसमि/2025-26 नया रायपुर दिनांक 16.10.2025

मिशन शक्ति अंतर्गत महिला हेल्पलाईन 181 के राज्य के जिला मुख्यालय रायपुर में विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में विज्ञापन

महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित मिशन शक्ति योजना के तहत महिला हेल्पलाईन 181 के संचालन हेतु जारी राज्य मुख्यालय रायपुर में विभिन्न पदों पर एकमुश्त/संविदा मासिक वेतन पर भर्ती के लिये पात्र आवेदकों से दिनांक 30.10.2025. से 15.11.2025 तक विभाग की वेबसाईट (उपरोक्त दर्शाये गये) https://helpline.e-bharti.in/shew पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। पदों की नियुक्ति एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित एकमुश्त / संविदा मासिक वेतन	चयन प्रक्रिया
		अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हेल्पलाईन एडमिनिस्ट्रेटर (महिला पद)	01	0	0	0	01	45,000/-	सीधी भर्ती- एकमुश्त वेतन/संविदा वेतन
2	कॉल ऑपरेटर (महिला पद)	05	04	01	02	12	20,000/-	

* सरल क्र० 01 एवं 02 के पद महिला पद है। उक्त पद हेतु महिला उम्मीद्वार ही आवेदन करें।

* छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा पर छूट हेतु जारी निर्देश लागू माने जायेंगे। आवेदन प्रपत्र तथा पद क्रमांक 1 एवं 2 के पदों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, कार्य दायित्व एवं अन्य विवरण -www.cgstate.gov.in and www.cgwcd.gov.in वेबसाईट पर उपलब्ध है :-

विज्ञापन अनुसार ऑनलाईन आवेदन दिनांक 15.11.2025 की संध्या 5:00 बजे तक विभाग की वेबसाईट (उपरोक्त दर्शाये गये) https://helpline.e.bharti.in/shew के माध्यम से ही प्रेषित किये जावें। निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

महिला हेल्पलाईन 181 के पदों पर चयन हेतु योग्यता, वेतन भत्ते सुविधाएं, आर्हताएं एवं अन्य नियम व शर्ते

1. विज्ञापित पदों का विवरण निम्नानुसार है

क्र	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित एकमुश्त / संविदा मासिक वेतन	चयन प्रक्रिया
		अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हेल्पलाईन एडमिनिस्ट्रेटर (महिला पद)	01	0	0	0	01	45,000/-	सीधी भर्ती- एकमुश्त वेतन/संविदा वेतन
2	कॉल ऑपरेटर (महिला पद)	05	04	01	02	12	20,000/-	

2. इन पदों पर शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव का विवरण-

क्र	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता	कार्य दायित्व
1	हेल्पलाईन एडमिनिस्ट्रेटर (महिला पद)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि /सामाजिक कार्य/ समाजशास्त्र /सामाजिक विज्ञान/मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं एम.एस.ऑफिस में कार्य करने की क्षमता	• ऐसी महिला, जिसके पास किसी शासकीय/ अर्द्धशासकीय /गैर सरकारी संगठन के साथ प्रशासनिक ढांचे में महिलाओं से संबंधित प्रासंगिक डोमेन महिलाओं से संबंधित हेल्पलाईन /कॉल सेंटर/ महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित संस्थान में प्रबंधकीय कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो और अधिमानतः उसी ढांचे के भीतर या बाहर परामर्श का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव हो। • आवेदिका को स्थानीय समुदाय की निवासी होनी चाहिए ताकि केंद्र के प्रभावी संचालन के लिए स्थानीय मानव संसाधन और विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सके।	• वह स्थानीय समुदाय की निवासी होनी चाहिए ताकि केंद्र के प्रभावी संचालन के लिए स्थानीय मानव संसाधन और विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सके। • आपातकालीन हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दिया जावेगा।	• हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर महिला हेल्पलाईन के समग्र सुचारू संचालन के लिए प्रभारी होंगे। • हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक कॉल के प्रति त्वरित और सार्थक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेंगे। • किसी भी चल रही कॉल के लिए जिम्मेदार होंगे और उसमें हस्तक्षेप करेंगे (यदि आवश्यक हो)। • प्रत्येक प्रकरणों की निगरानी करेगी, उसे तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएगी और बाद में पीडित महिला से फॉलो अप करेगी। • संबंधित एजेंसियों/संस्थाओं के साथ प्रभावी तालमेल सुनिश्चित करना। • सहयोग प्रदान करने वाली राज्य एजेंसियों से संबंधित मुद्दों के निवारण हेतु संबधित जिला/संचालनालय महिला एवं बाल विकास के सहयोग से कार्य निष्पादित करेगी। • टीम के लिए कार्यक्रम बनाने और टीम का प्रबंधन इस तरह से करने के लिए जिम्मेदार होगी कि हेल्पलाइन सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे सक्रिय रहे। • दैनिक, साप्ताहिक और मासिक रिपोर्ट तैयार करने और आवधिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगी • महिला संरक्षण और महिला अधिकारों से संबंधित प्रासंगिक राज्य और निजी प्राधिकरणों/संस्थाओं/ व्यक्तियों के बारे में जानकारी युक्त संसाधन निर्देशिका तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगी। • महिला हेल्पलाईन और विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच अच्छी कार्य संस्कृति बनाने के लिए बैठकें आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होंगी। • महिला हेल्पलाईन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समुदाय के भीतर जागरूकता सृजन गतिविधियों का आयोजन करेंगी। • महिला हेल्पलाईन के कामकाज की निगरानी करेंगी, कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगी, क्षमता निर्माण में सहायता करेंगी, टीम के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेंगी। • महिला हेल्पलाईन टीम के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगी और आवश्यकता पडने संबंधित जिला/संचालनालय महिला एवं बाल विकास को रिपोर्ट करेंगी।
2	कॉल आपरेटर (महिला पद)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री।	हिन्दी, अंग्रेजी, छत्तीसगढी भाषा में अच्छा संवाद कौशल हो।	ऐसी महिला जिसके पास हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में अच्छा संचार कौशल हो और दूरसंचार / वेब आधारित प्रासंगिक प्रणालियों पर काम करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव हो।	आपातकालीन हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दिया जावेगा।	• कॉल आपरेटर कॉल अटेंड करेंगी, प्राथमिक रेफरल करेंगी, डेटा एंट्री करेंगी और गंभीर प्रकरणों तथा ऐसे ऐसे प्रकरणों को हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर को भेजेंगी, जिनमें प्रथम बिंदु परामर्श की आवश्यकता है। • महिला सुरक्षा तथा महिला अधिकारों से संबंधित सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगी। • उपर्युक्त किसी भी योजना या कार्यक्रम के लिए आवेदन करने बाली महिलाओं को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेंगी तथा उन्हें उस तक पहुंचने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन देगी। • छुटे हुए कॉल पर पुनः कॉल करने में हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर की सहायता करेंगी। • कॉल ऑपरेटर को 24X7 (24 घण्टे) ड्यूटी रोस्टर अनुसार 03 अलग-अलग शिफ्टों में कार्य करना होगा।

शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए।

उपरोक्त उल्लेखित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार आवेदन ना करें।

3. आयु सीमा -

3.1 उपरोक्त सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3.2 आयु के सत्यापन /समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 8वीं, 10वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज़ सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।

4. निवास-पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण-पत्र ही मान्य किए जावेंगे।

5. पदों हेतु आरक्षण- आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6. चयनित अभ्यर्थी को चयन किए जाने के पश्चात् 01 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेंगी।

7. महिला हेल्पलाइन अत्यंत संवेदनशील प्रकृति का कार्य है, अतः चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तद्संबंधी प्रमाण-पत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

8. महिला हेल्पलाइन के कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीडितो की गोपनियता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यर्थी को सेवा में उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय, पीडितो/प्रकरणों से संबंधित विषयवस्तु एवं डाटा की गोपनियता बनाए रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाए जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

9. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/- के स्टॅाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा / होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

11. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज़ राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित / सत्यापित होना चाहिए।

12. अनुभव के संबंध में निर्देश

12.1 अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित / सत्यापित अनुभव प्रमाण-

क्रमशः

(पिछले पृष्ठ का शेष)

पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।

12.2 आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी संचालक का निर्णय ही अंतिम होगा।

12.3 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

12.4 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

13. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।

14. प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है. स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।

15. आवेदक अपनी अर्हता की जॉच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

16. उपरोक्तानुसार आर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक-इन-इंटरव्यू कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी।

17. आवेदन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथि तक स्वीकार किए जाएगे।

18. कौशल परीक्षा/वॉक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता / अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

19. योजना के अंतर्गत एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्त कर्मी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।

20. इन पदों पर नियुक्त कर्मी को एकमुश्त / संविदा वेतन ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ते, अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा।

21. इन कर्मियों को अवकाश सुविधा की पात्रता संविदा नियम 2012 (यथा संशोधित समय-समय पर) अनुसार ही देय होगी। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।

22. उपरोक्त कर्मचारियों के संविदा वेतन भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृद्धि किए जाने पर इन्हें वृद्धि अनुसार ही संविदा वेतन दिया जावेगा।

23. नियुक्ति प्रक्रियाः- महिला हेल्पलाईन 181 (WHL) अंतर्गत स्वीकृत होने वाले सभी पदों के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी, संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग होगे।

23.1 राज्य महिला सशक्तिकरण केन्द्र (SHEW) हेतु संचालनालय स्तर पर गठित होने वाली चयन समिति ही WHL के लिए भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित मापदंड के अनुसार चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा संचालक को अनुशंसा करेगी।

23.2 समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति हेतु/भर्ती मापदंड (मैरिट) एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम विज्ञापन आमंत्रित किया जाएगा। भारत शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार किया जायेगा। आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे-

23.3 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।

23.4 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 10 अंक।

23.5 राज्य के महिला हेल्पलाइन या चाईल्ड हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।

23.6 उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।

23.7 वॉक इन इन्टरव्यू / कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा/बोली का ज्ञान होना आवश्यक है। वॉक-इन-इंटरव्यू के दौरान इस आधार पर भी मापदंड रखा जाएगा।

23.8 अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

23.9 समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 7 के उप कंडिका 7.3, 7.4 एवं 7.5 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:5 या 1:10 के रेशियो में, जैसा चयन समिति उचित समझे वॉक-इन-इंटरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची संचालक को प्रेषित की जाएगी एवं संचालक द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।

24. नियुक्ति की अवधि :-

24.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में एकमुश्त/संविदा वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए संचालक द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा सेवा अवधि की समाप्ति पर अवधि न बढ़ाए जाने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

24.2 चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। कार्य अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

24.3 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत कर्मियों की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

25. चयन संबंधी विवाद की दशा में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा।
विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर एवं वेबसाईट www.cgwcd.gov.in पर देखी जा सकती है।

26. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सही पता, ई-मेल आईडी व मोबाईल नंबर का उल्लेख किया जावे, ताकि चयनित अभ्यर्थियों को सूचना की जानकारी दी जा सके।

टीपः-

1. दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
2. व्यक्तिगत साक्षात्कार / कौशल परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक
संचा० महिला एवं बाल विकास
नवा रायपुर-छत्तीसगढ़

आर.ओ.177/जी-252604424/3

नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा SDRF मुख्यालय छत्तीसगढ़

सेक्टर-19 अटल नगर, नवा रायपुर

छ०ग० अग्निशमन विभाग में भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की सूचना

छ०ग० अग्निशमन विभाग में विभिन्न संवर्ग के 295 पदों की भर्ती हेतु दिनांक 06.11.2025 से अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जावेगी। इस हेतु प्रवेश पत्र जारी किए गए है, जिसे अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट cghgcd.gov.in एवं firenoc.cg.gov.in से डाऊनलोड कर सकते है। समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त हेतु प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित तिथि / समय / स्थान पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

निदेशक
ट्रेनिंग ऑपरेशन
नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ
तथा एसडीआरएफ, छत्तीसगढ़

आर.ओ.178/जी-252604441/3

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कवर्धा वनमण्डल कवर्धा (छ.ग.)

E_mail-dfo-kawardha.cg@gov.in Phone No. & Fax - 07741-232230

वि.सू./क./ 7096 दिनांक 13/10/2025

वनरक्षक (खेल कोटे) के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के दुर्ग वृत्त के अधीन कार्यालयों/वनमडलों में वनरक्षक (खेल कोटा) के कुल 05 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति राष्ट्रीय स्तर के खेलों में प्रवीण्यता प्राप्त उम्मीदवारों से किया जाना है। इच्छुक उम्मीद्वारों से दिनांक दिनांक 15.11.2025 सायं 05.00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में कॉलम 05 में दर्शाये गये पते पर पंजीकृत डाक (पावती सहित) स्पीड पोस्ट से ही भेजा जावे। कार्यालय में सीधे प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

1. यह नियुक्ति/चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर याचिका क्रमांक एस.एल.पी. (सी) नं. 19668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी।
2. उपरोक्त पद राज्य स्तर के है तथा इन पदों पर नियुक्ति / चयन की कार्यवाही गठित समिति की अनुशंसा पर संबंधित जिला वनमण्डल के समक्ष प्राधिकारी द्वारा की जावेगी। चूंकि यह भर्ती खिलाड़ी कोटे के अंतर्गत संपन्न की जा रही है, अतः उस विधा के अभ्यर्थियों के साथ खुली स्पर्धा में परीक्षण प्रतियोगिता खेल विशेषज्ञों के निर्देशन में कराई जावेगी तथा उन्हीं विशेषज्ञों की अनुशंसा पर चयन कम का निर्धारण किया जावेगा।
3. भर्ती नियमों में प्रावधान अनुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र, पैदल चाल परीक्षण एवं शारीरिक नामजोख में निर्धारित मापदण्ड को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित खेल विद्या से किया जावेगा।

क्र	खेल का नाम	महिला	पुरूष	योग
1	वॉलीबाल	-	4	4
2	बास्केटबॉल	-	1	1
	योग	-	5	5

रिक्त पदों की जानकारी

पदनाम	अनारक्षित (खेल कोटा)		योग	कार्यालय जहाँ आवेदन पत्र प्रेषित किया जाना है (नोडल)
	महिला	पुरूष		
1	2	3	4	5
वनरक्षक	-	5	5	वनमण्डलाधिकारी कवर्धा वनमण्डल कवर्धा

1. पदों की संख्या में वर्गवार कमी या वृद्धि हो सकती है। चयन / नियुक्ति के समय वास्तविक रिक्तियों के विरूद्ध चयन/नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी तथा भर्ती प्रक्रिया अनुसार 25 प्रतिशत पदों की प्रतीक्षा सूची में चयनित उम्मीदवारो की नियुक्ति की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।
2. छ.ग. शासन तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम 2012 में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करना होगा।
3. छ.ग. शासन वन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क./एफ 1-53/2023/10-1/वन नया रायपुर दिनांक 06.07.2020 के अनुसार वनरक्षकों की सीधी भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अधीन भर्ती की जावेगी।
4. छ.ग. शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 33/2023 के निर्देशानुसार चयनित वनरक्षकों को 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किया जावेगा।
5. आवेदन पत्र एवं भर्ती प्रक्रिया संबंधी नियम व शर्ते विभागीय वेबसाईट www.cgforest.com/www.forest.cg.gov.in पर उपलब्ध किये जायेंगे।
6 वनमण्डलाधिकारी कवर्धा का संपर्क टेलीफोन नं. 07741-233446 से कर सकते है।

आवेदन पत्र एवं भर्ती प्रक्रिया संबंधी नियम व शर्ते

वनरक्षक पद हेतु शैक्षणिक / तकनीकी अर्हताओं तथा वेतनमान का विवरण :-

1. **वेतन बैंड -(19500-62000) लेवल-4**
2. शैक्षणिक-अर्हताएं मान्यता प्राप्त शिक्षामंडल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण
3. **शारीरिक अर्हताएं:-**

(अ) वनरक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी को चयन समिति द्वारा यथा विहित प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। पुरूष अभ्यर्थी के मामले में चार घण्टे में 25 कि.मी. की दूरी पैदल पूर्ण करनी होगी एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में चार घण्टे में 14 कि.मी. की दूरी पैदल पूर्ण करनी होगी। उन्हें विहत चिकित्सकीय और शारीरिक उपयुक्तता (फिटनेस) परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी।

(ब) वनरक्षक पद के लिये न्यूनतम शारीरिक प्रमाप (स्टेण्डर्ड) निम्नानुसार होगा :-

शारीरिक प्रमाप	पुरुष अभ्यर्थी
ऊंचाई अ.ज.जा. के लिये अन्य वर्ग	152 से.मी. 163 से.मी.
सीना सामान्य	79 से.मी. (न्यूनतम)
सीने की फुलाव	05 से.मी. (न्यूनतम)

नियम व शर्ते :-

1. **आयु सीमा :-**
दिनांक 01.01.2024 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक न हो। आयु के संबंध में हाई स्कूल या समकक्ष का प्रमाण-पत्र अथवा अंकसूची की सत्यापित प्रति जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, संलग्न करना होगा।
2. **चयन परीक्षा :-**
आवेदन पत्रों की जांच पश्चात् शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। अर्ह अभ्यार्थियों को आवश्कतानुसार प्रतियोगी परीक्षा / शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये बुलाया जावेगा, जिसके लिए तिथि निर्धारित होने की सूचना पृथक से भेजी जावेगी एवं www.cgforest.com/www.forest.cg.gov.in पर अपलोड की जावेगी। इस हेतु यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
3. **निवासी :-**
(1) उम्मीदवार छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
4. **आवेदन जमा करने की अंतिम तिथिः-**
दिनांक 15.11.2025 को शाम 5:00 बजे तक वनमण्डलाधिकारी कवर्धा वनमण्डल कवर्धा (छ.ग.) में आवेदन निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर्ड ए.डी./स्पीड पोस्ट से ही जमा करना होगा।

अन्य शर्ते :-

1. अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जावेगा एवं इस संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
2. आवेदन पत्र में लिफाफे में आवेदित पद का नाम एवं वर्ग स्पष्ट अक्षरों में लिखना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा जिस पर 5.00 रूपये का पोस्टल टिकट चस्पा हो संलग्न करें।
3. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कमांक एवं दिनांक का उल्लेख करना तथा प्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। यह शर्त अनुसूचित जाति, जनजाति के उम्मीदवारों के लिये लागू नहीं होगा।
4. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
5. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा विचारणीय नहीं होगा।
6. आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से सत्यापित या स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें। अभिलेख बिना अभिप्रमाणित होने की दशा में आवेदन पत्र बिना सूचना के निरस्त की जावेगी।
7. वनरक्षक खेल कोटा भर्ती प्रकिया में बोनस अंक देने का प्रावधान नहीं है।
8. रिक्त पद, निर्धारित अर्हता, चयन प्रकिया तथा अन्य संबंधित जानकारी वन विभाग की वेबसाईट www.cgforest.com पर उपलब्ध है। तथा संबंधित कार्यालय से अवलोकन किया जा सकता है, इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि, इसका भलीभांति अध्ययन कर ही आवेदन पत्र भरें, एवं भर्ती संबंधित अद्यतन जानकारी www.cgforest.com/www.forest.cg.gov.in का अवलोकन करते रहें।
9. अन्य किसी भी जानकारी हेतु वनमण्डल कार्यालय कवर्धा का सम्पर्क टेलीफोन नम्बर 07741-233446 से कर सकते है।

वनमण्डलाधिकारी
कवर्धा वनमण्डल कवर्धा

क्रमशः

(पिछले पृष्ठ का शेष)

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वप्रमाणित एक पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करें एवं दूसरी फोटो आवेदन के साथ संलग्न करें ।

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक दुर्ग
वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

पद जिसके लिए आवेदन दिया जा रहा है वनरक्षक (खेल कोटा)

1/ आवेदक का पूरा नाम (श्री/श्रीमति/कु.) :-------------------------
2/ लिंग (महिला/पुरुष) :-------------------------
3/ पिता/पति का नाम :-------------------------
4/ जन्म तिथि (अंकों में) :-------------------------
(शब्दों में) :-------------------------
5/ दिनांक 01/01/2025 की स्थिति में आयु----वर्ष----माह-------
6/ जाति वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग):---------------------
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
7/ स्थाई पता :----------------------
:----------------------
:----------------------
8/ पत्र व्यवहार का वर्तमान पता एवं मोबाईल नम्बरः-------------------
:----------------------
:----------------------
:----------------------
9/ क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है?(हाँ / नहीं).....
(यदि हाँ तो प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
10/ यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि :----------------------
11/ जीवित बच्चों की संख्या एवं उनकी जन्मतिथियों:-1----------2---------
3----------4---------
12/ रोजगार कार्यालय का नाम :----------------------
पंजीयन क्रमांक/दिनांक :----------------------
13/ शैक्षणिक योग्यता का विवरणः-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/वि.वि. संस्था का नाम	कुल प्राप्तांक	कुल अंक	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8

(प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

14/ शारीरिक मापदण्ड :-

शारीरिक प्रमाप	
ऊँचाई	------------से.मी.
सीना (बिना फुलाए)	------------से.मी.
सीने का फुलाव	------------से.मी.

15/ वर्तमान तथा पूर्व शासकीय सेवा का विवरण
अ. नियोक्ता कार्यालय का नाम : :---------------------
ब. धारित पद का नाम एवं वेतनमान / मूल वेतन :---------------------
स. कार्य अवधि का विवरण (कब से कार्यरत है) :---------------------
16/ (i) क्या अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाना/न्यायालय में लंबित है अथवा न्यायालय से निराकृत हो चुका है ? - :- (हॉ/नहीं)
(ii) यदि उत्तर हॉ है तो संबंधित अधिनियम एवं धारा :-------------------
सहित प्रकरण क्रमांक तथा निर्णय आदि की जानकारी का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।
17/ आवेदित खेल विधा का नाम :---------------------
18/ खेल का नाम जिसमें प्रवीणता प्राप्त किया गया है :---------------------
19/ राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता एवं वर्ष अंकित करें :----------------------

आवेदक के हस्ताक्षर
(आवेदक का नाम)

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैनें विज्ञापित पद की पात्रता संबंधी सभी शर्त को पढ़ लिया है। इस आवेदन पत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सही है, कोई भी जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकेगा एवं किसी भी समय मेरी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

दिनांक :-------
स्थान :--------

आवेदक के हस्ताक्षर
(आवेदक का नाम)

संलग्न सहपत्रों का विवरण (संलग्न किए गए सहपत्र पर सही का निशान लगावें) करें।
स्व प्रमाणित प्रति संलग्न

1. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र ☐
2. जाति प्रमाण पत्र ☐
3. रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति ☐
4. वनरक्षक के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के ☐ प्रमाण-पत्र एवं हायर सेकेण्ड्री (10+2) की अंक सूची की प्रति ☐
5. मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता ☐ में प्राप्त प्रमाण-पत्र प्रवीणता पत्र

आर.ओ.181/जी-252604179/3

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)

दूरभाष (का.) 0771-2439564, 0771-2331204, वेबसाईटः www.psc.cg.gov.in

क्रमांक / 2101/5475/2025-CGPSC/EXAM/1169 नवा रायपुर दिनांक 30.10.2025

व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा 2024 के आयोजन की संक्षिप्त सूचना

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन क्रमांक 04/2024/परीक्षा/दिनांक 23/12/2024 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 01/2025/परीक्षा/दिनांक 23.01.2025 द्वारा व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा 2024 हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। परीक्षा के अगले चरण में व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन दिनांक 21.12.2025 को किया जाना है। मुख्य परीक्षा में शामिल होने हेतु अभियर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा 2024 के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थी दिनांक 31.10.2025 से 15.11.2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

ऑनलाइन आवेदन संबंधी जानकारी तथा व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) मुख्य परीक्षा 2024 के आयोजन की सूचना आयोग के वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध है, साथ ही रोजगार एवं नियोजन के आगामी अंक में भी उक्त जानकारी का अवलोकन किया जा सकता है।

परीक्षा नियंत्रक
छ.ग. लोक सेवा आयोग
नवा रायपुर, अटल नगर

आर.ओ.179/जी-252604469.3

कार्यालय उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें जिला-कबीरधाम

कलेक्टर कार्यालय के प्रथम तल में कवर्धा जिला कबीरधाम

फोन/ फैक्स नं. 07741-232143 मेल ddvskabi.cg@nic.in

क्रमांक/2354/ DMF/स्थापना/2025-26/कबीरधाम दिनांक 30/10/2025

-:::: एक मुश्त पारिश्रमिक के आधार पर कार्य करने हेतु विज्ञापन ::::-

पशुधन विकास विभाग, जिला कबीरधाम छ.ग. अंतर्गत विभागीय पशु चिकित्सा संस्थाओं में पशु चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु रिक्त पदों पर कार्य करने के संबंध में स्थानीय व्यवस्था के तहत, जिला खनिज न्यास संस्थान (डी.एम.एफ.) मद से सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों के रिक्त पदों में से 09 पदों पर, 89 दिन की अवधि के लिए, एक मुश्त पारिश्रमिक के आधार पर (पूर्णतः अस्थाई) कार्य करने के लिए, कबीरधाम जिले के निवासी पात्र अभ्यार्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी कार्यालय, उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवाएँ, जिला कबीरधाम, प्रथम तल, संयुक्त जिला कार्यालय, कवर्धा में दिनांक 03.11.2025 से 12.11.2025 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि व समय उपरांत प्राप्त आवेदन स्वीकार / मान्य नहीं किए जाएँगे। विज्ञापन का विस्तृत विवरण तथा निर्धारित आवेदन का प्रारूप कवर्धा जिले के NIC वेबसाईट www.kawardha.gov.in पर अपलोड किया गया है।

उपसंचालक
पशु चिकित्सा सेवायें
कबीरधाम छ०ग०

आर.ओ.180/जी-252604484/4

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र/1311/समग्र शिक्षा/समा.शि./2025-26

बिलासपुर, दिनांक 28/10/2025

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्र. 3894/ समग्र शिक्षा/24/55 (23)/प्रारंभिक /2025-26 रायपुर, दिनांक 01.10.2025 के अनुसार समग्र शिक्षा के तहत विकासखण्ड संसाधन स्त्रोत केन्द्र हेतु निश्चित अवधि पर कार्य पर रखे जाने के लिए योग्य उम्मीद्वारों से आवेदन पत्र दिनांक 07/11/2025 तक आमंत्रित किया जाता है।

पदो का विवरण निम्नानुसार है-

क्र	विज्ञापित पद फिजियोथेरेपिस्ट										
	पद का नाम	पद संख्या	बिल्हा			मस्तुरी			तखतपुर		
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	मुक्त	महिला	दिव्यांग
1	फिजियोथेरेपिस्ट	3	1	0	0	1	0	0	1	0	0

आवश्यक योग्यता-

1. **फिजियोथेरेपिस्ट पद हेतु-**

1. शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से बेचलर ऑफ फिजियोथेरेपी डिग्री कोर्स।
2. छ.ग. फिजियोथेरेपी परिषद् में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

नियम एवं शर्ते

1. कार्य पर रखे जाने की अधिकतम अवधि 31 मार्च 2026 तक होगी। तत्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग के आवश्यकता के आधार पर एवं चयनित व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा, बिलासपुर द्वारा लिया जा सकेगा, अन्यथा चयनित व्यक्ति की सेवा स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
2. कार्य पर रखे जाने की अवधि में वेतनमान छ.ग. शासन द्वारा स्वीकृत नियमित वेतनमान नहीं होगा, बल्कि भारत सरकार द्वारा अनुशंसित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में स्वीकृति अनुसार फिजियोथेरेपिस्ट हेतु प्रतिमाह राशि रू. 20000/- मानदेय प्रदाय होगा।
3. कार्य पर रखा जाना पूर्णत अस्थाई होगा। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर राज्य कार्यालय से स्वीकृति अनुसार सेवा अवधि में वृद्धि किया जा सकेगा। चयनित व्यक्ति को बिना कारण बताये कभी भी सेवा समाप्त की जा सकती है। सेवा समाप्ति के बाद कर्मचारी को किसी प्रकार के पेंशन, भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी।
4. आवेदक की आयु दिनांक 01.10.2025 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियम लागू होंगे।
5. अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से चयनित व्यक्ति मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु नियोक्ता को आवेदन/न्यायालय में याचिका दायर नही करेगा।
6. रिक्तियों की संख्या परिवर्तनीय है।
7. चयन उल्लेखित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट बेसिस पर होगा।
8. चयनित व्यक्ति को बिलासपुर जिले के विभिन्न विकासखण्डों में संचालित समावेशी संसाधन स्त्रोत केन्द्र, विद्यालयों एवं गृह आधारित शिक्षण के अंतर्गत चिन्हांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को थेरेपी एवं अन्य चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करना होगा। लक्टर एव पदेन जिला मिशन संचालक का विज्ञापन वापस लेने/चयन प्रक्रिया को रदद ने/चयनित/कार्यरत् व्यक्ति का कार्य संतोषप्रद न होने/ किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में कार्य से पृथक करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार आवेदन/ अपील मान्य नहीं होगा। विवाद की स्थिति में सम्पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।
9. चयनित व्यक्ति को कार्य पर रखे जाने संबंधी पत्र प्राप्ति होने के पश्चात् निर्धारित अवधि में कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा, अन्यथा मेरिट सूची के अगले उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जावेगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।
10. फिजियोथेरेपिस्ट को टी.ए / डी.ए. एवं अन्य भत्तें की पात्रता नहीं होगी।
11. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावेगा। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची स्वप्रमाणित होनी चाहिए।
12. कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक का विज्ञापन वापस लेने/चयन प्रक्रिया को रद्द करने/चयनित/कार्यरत व्यकित का कार्य संपतोषप्रद न होने/किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में कार्य से पृथक करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी प्रकार आवेदन/अपील मान्य नहीं होगा। विवाद की स्थिति में सम्पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।
13. अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीद्वारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।
14. आवेदक को लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से लिखा होना चाहिए।
15. आवेदन पत्र जिला मिशन समन्वयक, जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, बिलासपुर जिला पंचायत परिसर बिलासपुर में रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट/कुरियर/सीधे कार्यालय में स्वीकार होंगे।
16. आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के लिए 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र/ अंकसूची देना अनिवार्य होगा।
17. आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 07/11/2025 को शाम 05 बजे तक जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा, जिला पंचायत बिलासपुर के द्वितीय तल में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

जिला मिशन मिशन समन्वयक
समग्र शिक्षा बिलासपुर (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति.

कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक,
समग्र शिक्षा,
जिला बिलासपुर छ.ग.

स्वप्रमाणित पासपोर्ट फोटो

1. आवेदित पद का नाम :--------------------------------
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :--------------------------------
   आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी में) केपिटल लेटर में :--------------------------------
3. पिता/पति का नाम :--------------------------------
4. अ. जन्म तिथि (अंको में) :--------------------------------
   ब. जन्म तिथि (शब्दो में) :--------------------------------
   स. दिनांक 01.10.2025 को आयु-----वर्ष----माह----दिन-------
   द. आयु सीमा में छूट चाहते है हां/ नहीं :--------------------------------
   इ. आयु सीमा में छूट का आधार :--------------------------------
5. लिंग (पुरूष/महिला) :--------------------------------
6. शैक्षणिक योग्यता

क्र	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	हाई स्कूल परीक्षा					
2	हायर सेकेण्डरी परीक्षा					
3	स्नातक/फिजियोथेरपी परीक्षा					
4	अन्य					

7. छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी परिषद् में जीवित पंजीयन क्रमांक (प्रति संलग्न करें):--------
8. पत्र व्यवहार का वर्तमान पूर्ण पता ------------------
   दूरभाष नं. सहित -----------------
9. स्थायी पता -----------------
10. क्या आप शासन द्वारा मान्य अजा/अजजा -/ अपिव के सदस्य है यदि हां तो प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति सलग्न करे। -----------------
11. क्या आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी है -----------------
    यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
12. क्या आवेदक विकलांग है। यदि हां तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें- -----------------
13. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत -----------------
14. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (स्व-प्रमाणित) -----------------
    1----------2-----------3------------4-------------5--------------

दिनांक---------
स्थान---------

आवेदक के हस्ताक्षर एवं
नाम मोबाईल नं.

घोषणा पत्र

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है यदि उपरोक्त तथ्य असत्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति/उम्मीद्वारी निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक------
स्थान-------

आवेदक के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विज्ञापन क्रमांक 04/2025/परीक्षा/दिनांक 07/10/2025

::विज्ञापन::

अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था) (महिला एवं बाल विकास विभाग) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 10/10/2025 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 08/11/2025 रात्रि 11:59 बजे तक

संभावित परीक्षा की तिथि 18/01/2026

महत्त्वपूर्ण

1. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णत: अनंतिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
4. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10/10/2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 08/11/2025 रात्रि 11:59 बजे तक **www.psc.cg.gov.in** पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 09/11/2025 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 11/11/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा।
6. ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 12/11/2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 14/11/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रू. 500/- (रूपये पांच सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। सशुल्क त्रुटि सुधार के दौरान अभ्यर्थी केवल लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मूल-निवासी, निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रविष्टियों में सुधार कर सकेंगे।
7. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
8. सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन को स्वमेव निरस्त माना जाएगा, इस संबंध में विस्तृत सूचना दिनांक 03.07.2023 को जारी की गई थी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के **महिला एवं बाल विकास विभाग** के अंतर्गत **अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था)** के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:-

स.क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **महिलाओं** के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **नि:शक्तजनों** के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मेट्रिक्स
		अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	**अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था)**	**23**	**6**	**18**	**8**	**6**	**1**	**5**	**2**	**-**	**55**	(स्तर-9)

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन प्रक्रियाएं माननीय उच्च्तम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी। विभाग से संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने पर, रिक्तियों की अंतिम संख्या में परिवर्तन आ सकता है।

राज्य शासन द्वारा निर्धारित रीति से, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों, महिला तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों के आरक्षण के अनुसार चिन्हांकन/चयन की कार्यवाही की जाएगी।

क्रमशः

महत्वपूर्ण टीप:-

1. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
2. यह विज्ञापन संबंधित विभाग के मांग-पत्र में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरुप प्रकाशित किया जा रहा है।
3. दिव्यांगजन के आरक्षण हेतु अधीक्षक (बाल देखरेख संस्थाएं) के पद को शामिल नहीं किया गया है।
4. परीक्षा योजना परिशिष्ट 'एक', पाठ्यक्रम परिशिष्ट 'दो', ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट 'तीन' में उल्लेखित है।
5. रिक्तियों में आरक्षणः-

(i) उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं एवं उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 7, 8, 9 एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे।

6. ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

(2) पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्यः-

(i) पद का नाम :- अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था)

(ii) सेवा श्रेणी :- राजपत्रित – कनिष्ठ द्वितीय श्रेणी कार्यपालिक

(iii) वेतन मैट्रिक्स :- वेतन मैट्रिक्स लेवल-09 (9300-34800+ग्रेड पे 4300)
इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे ।

(iv) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :-

(क) समाज कार्य (एम.एस.डब्ल्यू)/समाजशास्त्र/मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर/विधि में स्नातक उपाधि

(3) परिवीक्षा अवधिः- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी ।

महत्वपूर्ण नोटः-

(i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं का ''प्रमाण-पत्र'' ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है ।

(ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है ।

(4) निर्धारित आयु सीमाः-
अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2025 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट देय होगी अर्थात अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी ।
उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगीः-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी । यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी ।

(iii) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम-स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो । स्पष्टीकरणः-''छटनी किये गये सरकारी सेवक'' से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(iv) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
(छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-2/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 12/03/2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किए गए आवेदनों में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा । शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा किए जाने वाले आवेदनों में उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।)

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी ।

(vi) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(vii) छत्तीसगढ़ विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी ।

(viii) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

(ix) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित ''शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं'' को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

(x) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है । यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी ।

(xi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 650/209/2022/एक-3 दिनांक 07.04.2022 एवं क्रमांक एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/पंचायत कर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।

महत्वपूर्ण टीपः-

(a) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर, दिनांक 18.01.2024 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2028 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है । अन्य विशेष वर्गो के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(b) आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनु.जाति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा ।

(c) छत्तीसगढ भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी, ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथास्थान स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें।

(d) आयु की गणना दिनांक - 01.01.2025 के संदर्भ में की जाएगी ।

(5) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें । परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

(6) साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जानाः-
साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी ।

(i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र । (अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे)

(ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूचियाँ।

(iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र अर्हता प्राप्ति संबंधी विधिवत सूचना पत्र यथा-डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां ।
अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र/सूचना पत्र आयोग को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है । ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा ।

(iv) जाति प्रमाण पत्रः-

(a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय/मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता हो तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित (आयु/शुल्क/आरक्षण) लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

(c) (i) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर (अन्य प्रदेश) के निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापित पदों के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पदों के विरूद्ध नहीं । ऐसे अभ्यर्थियों को वर्ग के रूप में अनारक्षित वर्ग का ही चयन करना होगा ।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमीलेयर होने पर देय है। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु साक्षात्कार अंतिम तिथि से पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए।

शासकीय सेवकों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप

क्रमशः

कार्यवाही की जाएगी जिस हेतु अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने माता व पिता का सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नति संबंधी समस्त आदेशों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता का तलाक हो चुका है उन्हें माता-पिता का तलाकनामा अथवा बिना तलाक के कई वर्षों से विलग हैं तो उस स्थिति में उन्हें माता-पिता विलग होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(d) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें :-

(i) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है ।

(ii) विज्ञापन की कंडिका - 4(i), 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(vi) एवं 4(xi) के अंर्तगत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए राज्य शासन के सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र ।

(iii) विज्ञापन की कंडिका – 4 (vii) के अन्तर्गत तलाकशुदा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्टेट का प्रमाण-पत्र ।

(iv) विज्ञापन की कंडिका – 4 (viii) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र ।

(v) विज्ञापन की कंडिका – 4 (ix) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार" प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र ।

(vi) विज्ञापन की कंडिका – 4 (x) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव" का प्रमाण-पत्र ।

(7) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्रः-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/ कार्यालय प्रमुख को ''अनापत्ति प्रमाण-पत्र'' सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए ।

(ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा ।

(iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(8) आपराधिक अभियोजनः-

(A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया होः-

(i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या

(ii) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

(iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या

(iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या

(v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

(vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

(vii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

(viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(ix) प्रवेश-पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष /सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/ प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

(x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

(xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो ।

(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-

(i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या

(ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा-

(a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से ।

(b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

(c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी, परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि-

(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

(9) अनर्हताः- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगीः-

(i) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी ।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रुप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी ।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये । (छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3 नवा रायपुर, दिनांक 11/09/2023)

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(10) चयन प्रकियाः- विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं । आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा ''केवल'' साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

टीपः- यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगाः-

(i) उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) परीक्षा योजना परिशिष्ट-एक तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट- दो में प्रकाशित है।

(iii) परीक्षा हेतु संभागीय मुख्यालय सरगुजा (अम्बिकापुर), बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर (जगदलपुर) एवं रायपुर परीक्षा केन्द्र होंगे।

(iv) आवेदन प्राप्त होने की संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्र घटाए एवं बढ़ाए जा सकते हैं।

(11) ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्कः-

(i) छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्तता से गस्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए रूपए 300/- (रूपए तीन सौ) तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ से बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रूपए 400/- (रूपए चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा/साक्षात्कार उपस्थित होंगे उन्हें परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थी लिखित परीक्षा/साक्षात्कार समाप्ति के 10 दिवस के भीतर अपने डेशबोर्ड पर उपलबध लिंक के माध्यम से परीक्षा शुल्क वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत परीक्षा शुल्क वापसी के संबंध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होंगे। केवल शुल्क वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा/साक्षात्कार उपस्थित रहे थे केवल उन्हें ही परीक्षा शुल्क की राशि प्रविष्ट किए गए बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। त्रुटि सुधार/पोर्टल शुल्क तथा शुल्क भुगतान हेतु लिए गए सेवा कर एवं अन्य शुल्क वापस नहीं होंगे।

(12) ऑनलाइन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास, निःशक्तता एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा।

(i) सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रूपये 500/- का शुल्क लिया जाएगा । श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित

क्रमशः

वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी ।

(ii) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पेमेंट गेटवे शुल्क तथा लागू कर निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे ।

(iii) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा ।

(iv) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार/अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा ।

(v) त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी ।

(vi) सशुल्क त्रुटि सुधार के दौरान अभ्यर्थी केवल लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मूल-निवासी, निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधि प्रविष्टियों में सुधार कर सकेंगे ।

(13) परीक्षा के संबंध में:- (यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)

(i) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है । अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(ii) परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न या उत्तर विकल्प में किसी प्रकार की मुद्रण संबंधी त्रुटि, या प्रश्न त्रुटिपूर्ण होने/उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण होने या अन्य प्रकार की त्रुटि की शिकायत करता है तो उसे आयोग द्वारा दिये गये निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करनी होगी।

(14) यात्रा व्यय का भुगतानः-

(i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी का पूर्णतः बेरोजगार अभ्यर्थी हो को छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र/आयोग द्वारा किया जाएगा।

यात्रा व्यय का भुगतान केवल उन्ही अभ्यर्थियों को किया जाना हैः-

1) जिनके पास आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक हो जिसमें उनकी बेसिक जानकारी प्रिंट की हुई हो।

2) जो किसी शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में न हों तथा उन्हें अन्य किसी स्त्रोत से कोई आय न हो रही हो।

नोटः- आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक रखने से कोई अभ्यर्थी यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा, आयोग उक्त समस्त तथ्यों की जाँच कर व तथ्यों के संबंध में आश्वस्त होने पर ही यात्रा व्यय स्वीकृत करेगा।

(ii) परीक्षा आयोजित होने पर अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले के समीपस्थ परीक्षा केन्द्र तक की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा । गृह जिला को छोड़कर अन्य जिले के परीक्षा केन्द्रों में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी के गृह जिले में परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं है तो समीपस्थ जिले के परीक्षा केन्द्र तक यात्रा भत्ता देय होगा ।

(15) आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 (यथा संशोधित) के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(16) किसी भी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित प्राप्तांको की सूची तभी जारी की जाएगी, जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए।

(17) विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी/संशोधन आदि का प्रकाशन आयोग की वेबसाइट में जारी/प्रकाशित किया जाता है । अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग के वेबसाइट/पोर्टल का सतत् अवलोकन करते रहें । आयोग उपरोक्तानुसार प्रकाशित किये जाने वाले संशोधन/जानकारी की पृथक सूचना व्यक्तिशः जारी नहीं करेगा ।

(18) दावा आपत्ति निराकरण के बाद अंतिम चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात संशोधित मॉडल उत्तर आयोग के वेबसाइट में जारी किया जाएगा ।

(19) विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation) :- इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही/-
सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट-एक
''परीक्षा योजना''

(1) चयन दो चरणों में होगी, प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार।

परीक्षा	-	300 अंक
साक्षात्कार	-	30 अंक

कुल	-	330 अंक

(2) परीक्षाः-

(i) परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के एक प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगाः-

प्रश्न पत्र

प्रश्नों की संख्या	150	3:00 घंटे	अंक 300
भाग 1 – छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान		-	50 प्रश्न (100 अंक)
भाग 2 – बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान		-	100 प्रश्न (200 अंक)

	कुल	-	150 प्रश्न (300 अंक)

(ii) प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा।

(3) परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिये चार संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स, और द में समूहीकृत किया जाएगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/ निकटतम सही होगा, अभ्यर्थी को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही/निकटतम सही माने गये अ, ब, स या द में से केवल एक विकल्प का चयन करना होगा।

टीप :- अभ्यर्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आयोग परंपरागत परीक्षा के स्थान पर कम्प्यूटर बेस्ट टेस्ट (CBT) आयोजित कर सकेगा।

(4) प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगाः -

$$MO = M \times R - 1/3\ M \times W$$

जहां MO = अभ्यर्थी के प्राप्तांक, M = एक सही उत्तर के लिए निर्धारित प्राप्तांक अथवा प्रश्न विलोपित किए जाने की स्थिति में पुनः निर्धारित प्राप्तांक, R = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या तथा W = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या है। उक्त सूत्र का प्रयोग कर प्राप्तांकों की गणना दशमलव के चार अंकों तक की जाएगी।

(5) पाठ्यक्रम की जानकारी परिशिष्ट-दो में दी गई है।

(6) लिखित/कौशल/अनुवीक्षण परीक्षा में अनारक्षित तथा अनारक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 23 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे अनर्ह घोषित किया जाएगा।

(7) साक्षात्कारः- साक्षात्कार के लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं है।

(8) आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(9) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग तीन गुना होगी। केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा में अर्ह घोषित किया जावेगा, वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।

(10) चयन सूचीः- उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा।

(11) चयन प्रक्रिया आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 के अनुसार प्रावधानित होगी।

परिशिष्ट-दो
''पाठ्यक्रम''

भाग.1 छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान

1. छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान।
2. छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केन्द्र।
3. छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य , कला एवं संस्कृति, जनऊला, मुहावरे, हाना एवं लोकोत्तियां।
4. छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार।
5. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि।
6. छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज।
7. छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन।
8. छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं।

भाग.2 बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान

1. बालकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान एवं कानून :-

1.1 भारत का संविधान
1.2 किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021
1.3 किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 यथा संशोधित 2022
1.4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं नियम 2020
1.5 मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017
1.6 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
1.7 छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम 2023
1.8 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
1.9 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
1.10 बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005
1.11 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम
1.12 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
1.13 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम
1.14 स्वपाक औषधियां और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम
1.15 छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2009

क्रमशः

1.16 दत्तक ग्रहण विनियम 2022
2. बाल कल्याण एवं विकास :-
2.1 मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0
2.2 कुपोषण, एनीमिया, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर
2.3 कुपोषण का प्रबंधन - कुपोषण की पहचान, कुपोषित बच्चों की देखभाल
2.4 शरीर के विकास के लिए पोषण तत्वों की आवश्यकता- संतुलित आहार
2.5 बच्चों की सामान्य बीमारियां एवं उपचार
2.6 दिव्यांग बालकों के लिए केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाएं एवं कार्यक्रम
2.7 बालकों की शिक्षा के लिए केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाएं एवं कार्यक्रम
3. बाल संरक्षण एवं देखभाल :-
3.1 मिशन वात्सल्य योजना
3.2 पीएम केयर्स योजना
3.3 मुख्यमंत्री बाल उदय योजना
3.4 छ.ग. बाल कोष
3.5 बाल सक्षम नीति
3.6 बाल संरक्षण नीति
3.7 चाईल्ड हेल्पलाईन
3.8 स्कीम फॉर केयर एवं सपोर्ट टू विक्टिम अंडर सेक्शन 4 एवं 6 आफ पॉक्सो एक्ट
3.9 बाल अधिकार
3.10 बाल अधिकार संरक्षण आयोग
3.11 बाल संरक्षण/देखभाल /विकास की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने पर दिये जाने वाले विभिन्न पुरूस्कार
3.12 बाल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे - हिंसा, शोषण, बाल विवाह, ट्रैफिकिंग,बाल श्रम
3.13 बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान
3.14 संस्थागत देखरेख
3.15 दत्तक ग्रहण, फास्टर केयर, स्पान्सरशीप एवं आफ्टर केयर कार्यक्रम
3.16 परिवार एवं समुदाय आधारित कार्यकम
3.17 बाल संरक्षण संबंधी चुनौतिया
3.18 डायवर्जन एवं रिस्टोरेटीव न्याय के सिद्धांत
3.19 बाल व मानव व्यापार की प्रभावी रोकथाम
4. बाल मनोविज्ञान :-
4.1 विकास के चरण
4.2 बाल मनोविज्ञान से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं एवं सिद्धांत
4.3 काउंसलिंग
4.4 आकलन एवं हस्तक्षेप
4.5 अनुसंधान विधियां
4.6 एप्लीकेशन - वयस्क - बालक रिलेशनशिप, शिक्षा एवं सीखना, बाल कल्याण एवं संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य एवं उससे संबंधित हस्तक्षेप
4.7 थेरेपी- काग्निटीव बिहेविरियल थेरेपी, प्ले थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी
5. बच्चों के सर्वोत्तम हित में आपातकालीन सेवाएं :-
5.1 चाईल्ड हेल्पलाईन (1098)
5.2 महिला हेल्पलाईन (181)
5.3 पुलिस हेल्पलाईन ERSS-112
5.4 अन्य आपातकालीन सेवाएं

Part-1 General Knowledge of Chhattisgarh

1. History of Chhattisgarh, & Contribution of Chhattisgarh in Freedom Movement.
2. Geography, Climate, Physical status, Census, Archeological and Tourist Centres of Chhattisgarh.
3. Literature, Music, Dance, Art and Culture, Idioms and Proverbs, Puzzle/riddle (जनऊला), Singing (हाना) of Chhattisgarh.
4. Tribes, Special Traditions, Teej and Festivals of Chhattisgarh.
5. Economy, Forest and Agriculture of Chhattisgarh.
6. Administrative Structure, Local Government and Panchayatiraj of Chhattisgarh.
7. Industry in Chhattisgarh, Energy, Water and Mineral Resource of Chhattisgarh.
8. Current Affairs of Chhattisgarh.

Part-2 General Knowledge Related to Children

1. Constitutional Provisions and Laws Related to Children:-
1.1 Constitution of India
1.2 Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 as amended 2021
1.3 Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016 as amended 2022
1.4 Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 and Rules 2020
1.5 Mental Healthcare Act, 2017
1.6 Rights of Persons with Disabilities Act, 2016
1.7 Chhattisgarh Rights of Persons with Disabilities Rules 2023
1.8 Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009
1.9 Prohibition of Child Marriage Act, 2006
1.10 Commissions for protection of Child Rights Act, 2005
1.11 Protection of Human Rights Act
1.12 Right to Information Act, 2005
1.13 Legal Services Authorities Act
1.14 Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act
1.15 Chhattisgarh Commission for Protection of Child Rights Rules, 2009
1.16 Adoption Regulations 2022

2. Child Welfare and Development:-
2.1 Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0
2.2 Malnutrition, Anaemia, Infant Mortality Rate, Maternal Mortality Rate.
2.3 Management of Malnutrition - Identification of Malnutrition, Care of Malnourished Children
2.4 Need for Nutritional Elements for Body Development - Balanced Diet
2.5 Common Diseases and Treatment of Children
2.6 Schemes and Programs Run by Central and State Government for Disabled Children
2.7 Schemes and Programs Run by Central and State Government for Education of Children

3. Child Protection and Care:-
3.1 Mission Vatsalya Scheme
3.2 PM Cares Scheme
3.3 Mukhyamantri Bal Uday yojana
3.4 CG Bal Kosh
3.5 Bal Saksham Policy
3.6 Child Protection Policy
3.7 Child Helpline
3.8 Scheme for Care and Support to Victim under Section 4 and 6 of POCSO Act
3.9 Child Rights
3.10 Commission for Protection of Child Rights
3.11 Various awards given for doing remarkable work in the field of child protection/care/development
3.12 Important issues related to child protection- violence, exploitation, child marriage, trafficking, child labour
3.13 Child Marriage Free Chhattisgarh Campaign
3.14 Institutional care
3.15 Adoption, foster care, sponsorship and after care programmes
3.16 Family and community based programmes
3.17 Challenges related to child protection
3.18 Principles of diversion and restorative justice
3.19 Effective prevention of child and human trafficking

4. Child Psychology:-
4.1 Stages of development
4.2 Various concepts and theories related to child psychology
4.3 Counselling
4.4 Assessment and intervention
4.5 Research methods
4.6 Applications-adult-child relationship, education and learning, child welfare and protection, mental health and related interventions
4.7 Therapy-cognitive behavioural therapy, play therapy, group therapy, family Therapy

5. Emergency services in the best interest of children:-
5.1 Child Helpline (1098)
5.2 Women Helpline (181)
5.3 Police Helpline ERSS-112
5.4 Other Emergency Services

क्रमशः

परिशिष्ट-तीन

''ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी''

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैंः-(कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तो को अच्छी तरह पढ़ लें) ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

(1) पूर्व से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु रजिस्टर्ड अभ्यर्थी अपने लॉगिन आई. डी. व पासवर्ड का प्रयोग कर आवेदन की प्रक्रिया कर सकते हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. एवं पहचान पत्र आई.डी. नम्बर इत्यादि की प्रविष्टि कर Generate OTP बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी को उसके द्वारा प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर प्राप्त हुए One Time Password (OTP) की प्रविष्टि हेतु दो टेक्स्ट बॉक्स प्राप्त होंगे जिनमें सही OTP प्रविष्ट करने पर अभ्यर्थी को अपना फोटो कैप्चर करने हेतु, प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर पर एक लिंक प्राप्त होगा जिसके माध्यम से मोबाइल कैमरा की मदद से Open Camera बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना लाइव फोटो अपलोड करेंगे। पूर्व से रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों को भी लॉगिन करने तथा कैप्चर फोटो बटन को क्लिक करने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, लाइव फोटो अपलोड करने हेतु लिंक प्राप्त होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा कैप्चर किए हुए फोटो में उसका चेहरा स्पष्ट हो, दोनो कान स्पष्ट दिखाई दे रहे हों तथा आंखें खुली हुई हो। फोटो कैप्चर करते समय ऐसी दीवार अथवा सरफेस को बैकग्राउंड के रूप में प्रयुक्त करें जो एक ही हल्के रंग (Light Colour) का हो। अभ्यर्थी यह प्रयास करे कि कैप्चर किया हुआ चेहरा कैप्चर स्क्रीन के लगभग 80 प्रतिशत भाग पर आए। यदि अभ्यर्थी कैप्चर किए हुए फोटो को बदलना चाहे तो Re Capture बटन का प्रयोग कर वे ऐसा कर सकते हैं। पर्याप्त बड़े तथा स्पष्ट चेहरे युक्त फोटो को कैप्चर करने के पश्चात् Verify & Upload बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी लाइव फोटो अपलोड कर सकता है। फोटो अपलोड करने के पश्चात् अभ्यर्थी Upload Signature को क्लिक कर अपना हस्ताक्षर अपलोड करेंगे।

ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देशः- ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्केन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100 KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्केन किया जाए, खाली बैकग्राउंड को नहीं।

(2) फोटो एवं हस्ताक्षर सफलता पूर्वक अपलोड करने के पश्चात् Save बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पर उपलब्ध आवेदन किए जाने वाले पद से संबंधित Apply बटन को क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उक्त प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी को पंजीयन के समय प्रविष्ट किए गए ई-मेल आई.डी. पर लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होंगे जिनकी मदद से अभ्यर्थी भविष्य में कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां कर लेने के पश्चात् अभ्यर्थी को आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि निर्धारित भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन की पावती एवं भुगतान की रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क के सफलता पूर्वक भुगतान के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की पावती पर Application Status के सामने Submitted दर्शित हो रहा हो तथा Payment Status के सामने Paid दर्शित हो रहा हो, ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी का आवेदन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(3) अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाईल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाईल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाईल नंबर व ई-मेल आई.डी. पर दी जा सकती है।

(4) ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रुप से उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहें। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रुप से पत्र/SMS से देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

(5) आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर पोर्टल शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या अन्य उपलब्ध माध्यम से कर सकते हैं।

(6) ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही-सही प्रविष्टि की जाए।

(7) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit करें तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करें।

(8) ऑनलाइन आवेदन Submit करने तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन तथा भुगतान की रसीद प्राप्त होगी। जिन्हें प्रिंट कर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में मांगें जाने पर उक्त को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा/अथवा भुगतान की रसीद उपलब्ध कराने हेतु आयोग को प्रेषित अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(9) ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। सशुल्क त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।

(10) आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार व/या सशुल्क त्रुटि सुधार की अवधि में वांछित सुधार कर लें।

(11) ऑनलाइन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्कः-

(i) प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार तथा सशुल्क त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोटः-

(i) आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की रसीद में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है।

(ii) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iii) किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।

(iv) कार्ड/नेटबैंकिंग/यूपीआई या अन्य किसी भी उपलब्ध माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान (यदि कोई हो) की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान फिशिंग/हैकिंग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(v) ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदन को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्रः-

(1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।

(2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रुप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।

(4) अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ ID Proof हेतु मूल पहचान पत्र जैसे– मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड अथवा ई-आधार कार्ड में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में परीक्षा केन्द्र/साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।

*****

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुविकल्पिय प्रश्नोत्तरी

1. छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था?
(A) 1998
(B) 1999
(C) 2000
(D) 2001
उत्तरः (C) 2000

2. राज्य गठन के साथ किस शहर को छत्तीसगढ़ की राजधानी घोषित किया गया?
(A) बिलासपुर
(B) रायपुर
(C) दुर्ग
(D) कोरबा
उत्तरः (B) रायपुर

3. छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कौन-सी है?
(A) रायगढ़
(B) राजनांदगांव
(C) बिलासपुर
(D) कवर्धा
उत्तरः (C) बिलासपुर

4. छत्तीसगढ़ में सिम्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई?
(A) 2000
(B) 2001
(C) 2002
(D) 2003
उत्तरः (B) 2001

5. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) का गठन कब हुआ?
(A) 2001
(B) 2002
(C) 2003
(D) 2004
उत्तरः (B) 2002

6. राज्य की पहली शुगर मिल कहाँ स्थापित हुई?
(A) राजनांदगांव
(B) कवर्धा
(C) बिलासपुर
(D) दुर्ग
उत्तरः (B) कवर्धा

7. हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष हुई?
(A) 2002
(B) 2003
(C) 2004
(D) 2005
उत्तरः (B) 2003

8. आदिमजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई?
(A) 2003
(B) 2004
(C) 2005
(D) 2006
उत्तरः (B) 2004

9. पं. सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई?
(A) 2005
(B) 2006
(C) 2007
(D) 2008
उत्तरः (A) 2005

10. भिलाई में एनएसपीसीएल (NSPCL) की शुरुआत किस वर्ष हुई?
(A) 2005
(B) 2006
(C) 2007
(D) 2008
उत्तरः (B) 2006

11. बीजापुर और नारायणपुर जिले कब बनाए गए?
(A) 2005
(B) 2006
(C) 2007
(D) 2008
उत्तरः (C) 2007

12. बस्तर विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई?
(A) 2007
(B) 2008
(C) 2009
(D) 2010
उत्तरः (B) 2008

13. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला?
(A) 2008
(B) 2009
(C) 2010
(D) 2011
उत्तरः (B) 2009

14. आईआईएम रायपुर की स्थापना किस वर्ष हुई?
(A) 2009
(B) 2010
(C) 2011
(D) 2012
उत्तरः (B) 2010

15. रायपुर निगम मुख्यालय 'महात्मा गांधी सदन' किस वर्ष बना?
(A) 2011
(B) 2012
(C) 2013
(D) 2014
उत्तरः (A) 2011

16. रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल में नया टर्मिनल कब शुरू हुआ?
(A) 2011
(B) 2012
(C) 2013
(D) 2014
उत्तरः (B) 2012

17. एम्स रायपुर की स्थापना किस वर्ष हुई?
(A) 2012
(B) 2013
(C) 2014
(D) 2015
उत्तरः (B) 2013

18. राजनांदगांव में एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम कब तैयार हुआ?
(A) 2013
(B) 2014
(C) 2015
(D) 2016
उत्तरः (B) 2014

19. ट्रिपल आईटी (IIIT) की स्थापना किस वर्ष हुई?
(A) 2014
(B) 2015
(C) 2016
(D) 2017
उत्तरः (B) 2015

20. आईआईटी भिलाई की शुरुआत कब हुई?
(A) 2015
(B) 2016
(C) 2017
(D) 2018
उत्तरः (B) 2016

21. हमर छत्तीसगढ़ योजना कब शुरू हुई?
(A) 2016
(B) 2017
(C) 2018
(D) 2019
उत्तरः (B) 2017

22. डीकेएस भवन में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल कब शुरू हुआ?
(A) 2017
(B) 2018
(C) 2019
(D) 2020
उत्तरः (B) 2018

23. गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिला कब बना?
(A) 2019
(B) 2020
(C) 2021
(D) 2022
उत्तरः (B) 2020

24. राम वन गमन पथ योजना किस वर्ष शुरू हुई?
(A) 2020
(B) 2021
(C) 2022
(D) 2023
उत्तरः (B) 2021

25. पाँच नए जिले मोहला-मानपुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई कब बनाए गए?
(A) 2021
(B) 2022
(C) 2023
(D) 2024
उत्तरः (B) 2022

26. कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, मनेन्द्रगढ़ और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेजों की घोषणा कब हुई?
(A) 2022
(B) 2023
(C) 2024
(D) 2025
उत्तरः (B) 2023

27. नया मुख्यमंत्री निवास नवा रायपुर में कब तैयार हुआ?
(A) 2023
(B) 2024
(C) 2025
(D) 2026
उत्तरः (B) 2024

28. नया विधानसभा भवन किस स्थान पर स्थित है?
(A) पुराना रायपुर
(B) नवा रायपुर
(C) बिलासपुर
(D) भिलाई
उत्तरः (B) नवा रायपुर

29. नवीन विधान सभा भवन, छत्तीसगढ़ का भूमिपूजन कब हुआ ?
(A) 2020
(B) 2021
(C) 2023
(D) 2025
उत्तरः 2020

30. . छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का निर्माण लगभग कितनी लागत से किया गया?
(A) 224 करोड़
(B) 324 करोड़
(C) 424 करोड़
(D) 524 करोड़
उत्तरः (B) 324 करोड़

31. नए विधानसभा भवन परिसर का क्षेत्रफल कितना है?
(A) 31 एकड़
(B) 41 एकड़
(C) 51 एकड़
(D) 61 एकड़
उत्तरः (C) 51 एकड़

32. नए विधानसभा भवन के फर्नीचर और दरवाजे किस क्षेत्र की शिल्पकला से बने हैं?
(A) सरगुजा
(B) बस्तर
(C) कोरिया
(D) राजनांदगांव
उत्तरः (B) बस्तर

33. विधानसभा सदन की सीलिंग में क्या उकेरा गया है?
(A) सागौन की लकड़ी
(B) धान की बालियाँ और पत्तियाँ
(C) कमल का फूल
(D) लोकनृत्य की आकृतियाँ
उत्तरः (B) धान की बालियाँ और पत्तियाँ

34. विधानसभा भवन का मुख्य प्रतीकात्मक विषय क्या है?
(A) औद्योगिक विकास
(B) कृषि संस्कृति और परंपरा
(C) पर्यटन
(D) डिजिटल भारत
उत्तरः (B) कृषि संस्कृति और परंपरा

35. नए विधानसभा भवन में सदन को भविष्य में कितने सदस्यों तक विस्तारित किया जा सकता है?
(A) 150 सदस्य
(B) 175 सदस्य
(C) 200 सदस्य
(D) 250 सदस्य
उत्तरः (C) 200 सदस्य

36. विधानसभा भवन में कितनी दर्शक क्षमता वाला ऑडिटोरियम बनाया गया है?
(A) 200
(B) 300
(C) 400
(D) 500
उत्तरः (D) 500

37. छत्तीसगढ़ विधानसभा का अस्थायी संचालन पहले कहाँ से होता था?
(A) सेंट्रल लाइब्रेरी रायपुर
(B) राजकुमार कॉलेज रायपुर
(C) पुराना सचिवालय
(D) मिनीमाता सभागार
उत्तरः (B) राजकुमार कॉलेज रायपुर

- **गीता प्रसाद,** कैरियर काउंसलर

अस्वीकरण (Disclaimer) : इस प्रश्नोत्तरी में दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। फिर भी, यदि किसी प्रश्न या उत्तर में अनजाने में कोई त्रुटि रह जाती है, तो इसके लिए "रोजगार और नियोजन" जिम्मेदार नहीं होगा।

आदिवासी विद्रोह एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित...

शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक

50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित

10 एकड़ में बना संग्रहालय

14 हाईटेक गैलरियों में जीवंत झांकी

आधुनिक तकनीक से सुसज्जित संग्रहालय

यह स्मारक-सह-संग्रहालय छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास पर गहन अध्ययन और शोध के बाद VFX टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्शन वर्क के माध्यम से तैयार किया गया है। आगंतुकों को प्रत्येक दीर्घा में आदिवासी विद्रोह का विवरण डिजिटल बोर्ड पर उपलब्ध रहेगा। वे संग्रहालय में प्रदर्शित मूर्तियों और घटनाओं को जीवंत रूप में अनुभव कर सकेंगे। प्रत्येक दीर्घा के सामने लगे स्कैनर से मोबाइल द्वारा कोड स्कैन कर संबंधित जानकारी तुरंत प्राप्त की जा सकती है।

देश के पहले डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह आदिवासी म्यूजियम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आदिवासी नायकों की वीरता, बलिदान और संघर्ष की कहानियों की झलक दिखाई दे रही है। इस हाईटेक संग्रहालय में 14 गैलरियों 12 आदिवासी विद्रोह और 2 सत्याग्रह की जीवंत झांकी दिखाई गई है। संग्रहालय में पहुंचने वाले लोग अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर हर गाथा को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सुनने के साथ ही देख भी सकते हैं। दीवारों पर शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत संबंधी जानकारियां दी गई हैं। परिसर में बिरसा मुंडा, रानी गाइडलो, गेंद सिंह, वीर गुण्डाधुर, सुकदेव पातर जैसे नायकों की प्रतिमा लगाई गई है।

आदिवासी विद्रोह एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित...
शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक

1.	हलबा क्रांति	(1774 ई.)
2.	सरगुजा क्रांति	(1792 ई.)
3.	भोपाल पट्टनम क्रांति	(1795 ई.)
4.	परलकोट क्रांति	(1824 ई.)
5.	तारापुर क्रांति	(1842 ई.)
6.	मेरिया क्रांति	(1842 ई.)
7.	लिंगागिरी क्रांति	(1856 ई.)
8.	सोनाखान क्रांति	(1857 ई.)
9.	कोई क्रांति	(1859 ई.)
10.	मुरिया क्रांति	(1876 ई.)
11.	रानी चो रिस क्रांति	(1878 ई.)
12.	भूमकाल क्रांति	(1910 ई.)
13.	झंडा सत्याग्रह	(1923 ई.)
14.	जंगल सत्याग्रह	(1939 ई.)

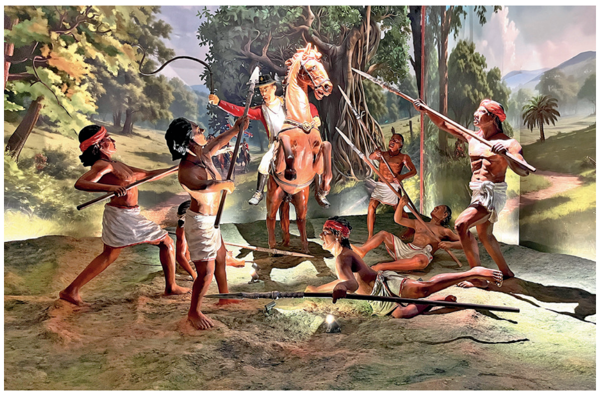

डॉ. रवि मित्तल - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से मे. डीबी कार्प. लिमिटेड, प्लाट नंबर 40/44 इण्डस्ट्रियल एरिया, उरला रायपुर से मुद्रित, छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रकाशित। संपादक - जवाहर लाल दरियो